हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

26 मार्च, 1977

खंड 1, अंक 6

अधिकृत विवरण

विशय–सूची

शनिवार, 26 मार्च, 1977

	पृश्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6)1
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6)7
कार्यमंत्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन	(6)12
विशेशाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन पेश करना तथा अंतिम प्रतिवेदन देने का समय बढ़ाना	(6)13
दी हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं. 4) बिल, 1977	(6)15
दी हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन बिल, 1977	(6)39
दी हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं. 2) बिल, 1977	(6)41
दी हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं. 3) बिल, 1977	(6)42
दी हरियाणा सीलिंग आन लैड होल्डिंगज (अमैंडमैंट) बिल, 1977	(6)44
दी हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन आफ	(6)46

अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 1977	
दी हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथोरिटी बिल, 1977	(6)47
दी हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली, (अलाउंसिज आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1977	(6)48
दी हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली, स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एंड अलाउसिंज (अमैंडमैंट) बिल, 1977	(6)51
दी रोहतक यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1977	(6)52

हरियाणा विधान सभा

शनिवार, 26 मार्च, 1977

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री बनारसी दास गुप्त) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Completion of Roads

***1758. Sh. Behari Lal Balmiki**: Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) whether the following roads are lying incomplete in the Hasanpur Constitutency of Gurgaon District:-

(b) if so, the time by which the roads as referred to in part (a) above are likely to be completed?

Revenue Minister (Sh. Maru Singh Malik):

(a) Yes.

(b) There are likely to be completed during 1997-78, excepting the portion from Gulawad to Jatoli, which, being a duplicate

link, will be taken up later on depending on the availability of funds.

श्री बिहारी लाल बाल्मीकि: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो च्छेज कुसक अथवा बिलोचपुर कांसीपुर से फाटक नगर के लिये सड़क पिछले साल से मन्जूर हुई पड़ी है, इस पर काम कब तक भुारू करवा दिया जायेगा?

श्री माडू सिंह मलिक: इसक लिये सैपरेट नोटिस चाहिए।

Mis-appropriation of Funds of Haryana Harijan Kalyan Nigam

***1750. Ch. Ram Lal Wadhwa**: Will the Minister of Excise and Taxation be pleased to state –

(a) the district-wise number of cases with amount involved in the mis-appropriation of funds of Haryana Harijan Kalyan Nigam, detected during the years from 1968-69 to 1976-77 to date, together with the names of officers/officials and parties, if any, who are involved in each case, separately; and

(b) the action taken against the Officers/officials and parties in each case as referred to in part (a) above and the results thereof separately?

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand):

(a) Statements ‘A’ & ‘B’ are laid on the Table of the House.

(b) (i) A criminal case was registered against Sh. S.P. Kapoor. the then Executive Officer, with the Chandigarh Police on 18th August, 1972. Subsequently Police arrested him and Sh. Om Parkash, Ex-Municipal Commissioner, Kaithal. The case is still under investigation.

(c) Mis-appropirations mentioned is Statement ‘B’ came to notice only in February, 1976 and an F.I.R. was lodged immediately with the Police on 23rd February, 1976. The services of the Field Officer were also terminated w.e.f. 5th March, 1976.

STATEMENT 'A'

Statement showing the loan cases in which amount has been mis-appropriated through over payments or fradulent payments etc.

Sr. No.	Particulars of the loanee	Amount involved	Name of officers/officials and parties involved
		Rs.	
		1971-72 **Distt. Gurgaon**	
1	Sh. Sanwal Ram S/o Sh. Arjun, Village & P.O. Bureli, (Now in Mohindergarh Distt.)	1600	Sh.S.P. Kapoor the then Executive Officer.
2	Sh. Om Parkash S/o Kishan Lal, Vill. & P.O. Chaniti	1600	Sh. Om Parkash, Ex. Municipal Commissioner, Kaithal.

Distt. Karnal			
1	Sh. Karam Chand S/o Sh. Shiv Ram of Pehowa (Now in Kurukshetra Distt.)	3000	Sh. S.P. Kapoor the then Executive Officer, One Sh. Karam Singh and Sh. Zile Singh, Clerk, Haryana Harijan Kalyan Nigam Ltd., are also involved.
2	Sh. Mai Lal S/o Sh. Bhagat Ram of Manjura (two cases)	3100	Sh. Anil Kumar S/o Sh. S.P. Kapoor the then Executive Officer
3	Sh. Phool Chand S/o Sh. Chet Ram of Shahbad (Now in Kurukshetra Distt.)	4000	Sh. Om Parkash Ex. Municipal Commissioner, Kaithal.
Distt. Hissar			
1	Sh. Jita Ram S/o Sh. Dana Ram, Village Reghubana	1600	Do
2	Sh. Giani Ram S/o Sh. (Not Known)	3000	Do

3	Sh. Charan Dass S/o Sh. Nand Ram of Kharia Dhobi	4000	Amount was drawn by Sh. Shiv Dayal S/o Sh. Rakha Ram, Kaithal and Mis-appropriated by Sh. S.P. Kapoor.
4	Sh. Kanshi Ram S/o Sh. Kumbha Ram of Bamandori	1600	Sh. S.P. Kapoor the then Executive Officer.
5	Sh. Jogi Ram S/o Sh. Chand, Village Singhar	1400	Sh. Om Parkash Ex-Municipal Commissioner, Kaithal.
1972-73 **Distt. Hisar**			
1	Sh. Banarsi Dass S/o Sh. Salag Ram of Barwala	4000	Cheque encashment by Sh. Parbhati Ram now working as Electrician in P.G.I. Chandigarh and the amount was misappropriated by Sh. S.P. Kapoor.
2	Sh. Puran S/o Sh. Nahanta,	300	Sh. S.P. Kapoor the then

	Vill. Balyali		executive Officer
3	Sh. Bhola Ram S/o Sh. Thia Ram Vill. Jamalpur (Now in Bhiwani Distt.)	1500	Sh. S.P. Kapoor the then executive Officer
	Total	33400	

STATEMENT 'B'

Statement showing the cases in which amount of Instalments recovered from the Loanees was mis-appropriated by Sh. Kalu Ram Field Officer of the Nigam.

Sr. No.	Name fo the loanee	Amount recovered and misapropriated	Remarks
		Rs.	

1975-76 **Distt. Jind**			
1	Sh. Mangali Ram S/o Sh. Devtia of Jind	341.00	Since recovered from Sh. Kalu Ram and credited to the Loanee's account
2.	Sh. Prem S/o Sh. Jai Lal of Shanpur	60.20	Since recovered from Sh. Kalu Ram and credited to the Loanee's account
1976-77 **Distt. Jind**			
1	Sh. Kura Ram S/o Sh. Nikku of Jind	110.00	Since recovered from Sh. Kalu Ram and credited to the Loanee's account
2	Sh. Mange Ram S/o Sh. Chhotu Ram of Bhuran	227.00	Since recovered from Sh. Kalu Ram and credited to the Loanee's account

Distt. Bhiwani			
1	Sh. Attar Singh S/o Sh. Gopal of Charkhi Dadri	179.00	Since recovered from Sh. Kalu Ram and credited to the Loanee's account
2	Smt. Nihali Devi W/o Sh. Tulsi Ram of Bhiwani	250.00	Since recovered from Sh. Kalu Ram and credited to the Loanee's account
3	Sh. Balwant Singh S/o Sh. Pehlad of Nangana	277.30	Since recovered from Sh. Kalu Ram and credited to the Loanee's account
4	Sh. Parma Nand S/o Sh. Neki Ram of Charkhi Dadri	113.68	Since recovered from Sh. Kalu Ram and credited to the Loanee's account
5	Sh. Mangat Ram S/o Sh. Tek Chand of Bhiwani	100.00	Since recovered from Sh. Kalu Ram and credited to the Loanee's account
6	Sh. Bakshi S/o Sh. Mai	200.00	Since recovered from Sh. Kalu

	Chand of Mundhal		Ram and credited to the Loanee's account
7	Smt. Ram Devi W/o Sh. Ram Sarup, Vijay Colony, Bhiwani	207.00	Since recovered from Sh. Kalu Ram and credited to the Loanee's account
8	Sh. Santu S/o Sh. Dula Ram, VPO Bade Brahaman, Teh. Bawani Khera.	530.75	Amount still recoverable.
	Total:	2546.03	

चौ. राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि 18.8.1972 को तो यह केस रजिस्टर किया गया, आज इसे 5 साल हो गये, इस बात की तहकीकात की गयी है कि डिले क्यों हुई है और इसका कारण क्या है कि अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हो पाया है?

श्री श्याम चन्द: स्पीकर साहब, जो एक्जैक्टिव अफसर इस निगम का था, उसका लड़का भी इसमें इन्वाल्वड था और यह तीन साल के बाद पेश हुआ है। इसलिये पुलिस इस केस की अभी इन्वैस्टीगेशन कर रही है।

Persons of the Line Registers of Employment Exchanges

***1751. Ch. Ram Lal Wadhwa**: Will the Minister for Transport be pleased to state –

(a) The district-wise total number of persons on the live registers of employment Exchanges in the State as on 30th June, 1976 together with the total number of Ex-servicemen, discharged Government employees, Women and persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, separately; and

(b) the district-wise number of persons to whom the employment has been provided during the period from 1st November, 1975 to 31st December, 1976?

Transport Minister (Sh. K.L. Poswal): (a) and (b) A statement is laid on the Table.

Statement

(a) District-wise total number of persons on the Live Register of Employment Exchanges in Haryana as on 30th June, 1976 together with the total number of Ex-Servicemen, Discharged Government Employees, Women, persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes separately is given below:-

Name of the District	Total number of persons on live Register of Employment Exchanges	Ex-servicemen	Discharged Government Employees	Women	Schedule Castes	Schedule Tribes	Backward Classes
1	2	3	4	5	6	7	8
Ambala	47751	1215	252	6941	7265	1	159
Kurukshetra	13669	334	14	1368	2164		111
Karnal	28604	502	124	3109	5707		155
Rohtak	27665	1265	38	3645	3843		61
Sonepat	15136	490	46	2209	2473		154

Jind	11889	287	34	822	2195		158
Bhiwani	14162	891	40	1245	3236		152
Gurgaon	34861	565	245	3548	5234	10	162
Mohindergarh	15937	677	26	1121	3582	1	233
Hissar	21714	519	63	2672	4380		220
Sirsa	6105	53	7	517	1011	1	72
	237493	6788	889	27497	41090	13	1637

(b) District-wise number of persons to whom the employment has been provided during the period from 1st November, 1975 to 31st December, 1976 is given as under –

Name of District	Employment Exchanges from 1-11-1975 to 31-12-1976
Ambala	5058
Kurukshetra	3337
Karnal	3462
Rohtak	2669
Sonepat	2434
Jind	1661
Bhiwani	2326
Gurgaon	6541
Mohindergarh	2825
Hissar	3074
Sirsa	1646
Total	35033

Mr. Speaker: The Question hour is over.

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Buses checked by the Excise and Taxation Authorities.

584. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state the depot-wise total number of buses of Haryana Roadways checked by the Excise and Taxation Authorities (State District and Enforcement) for various offences together with the number of prosecurtions launched during the financial years from 1973-74 to 1976-77 (to-date) year-wise and depot-wise, separately?

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): A statement is laid on the Table of the house.

Statement

The information in question is not maintained by the Excise and Taxation Department, Haryana Roadways, Depot-wise. It is only maintained districtwise. The information regarding the number of buses in respect of which checking was done and irregulaties were detected during the years 1973-74, 1974-75, 1975-76 and 1976-77 (upto 31-1-77) district-wise is as below:-

Name of the District	1973-74		1974-75		1975-76		1976-77	
	No. of buses of Haryana Roadways checked	No. of cases in which irregularities detected	No. of buses of Haryana Roadways checked	No. of cases in which irregularities detected	No. of buses of Haryana Roadways checked	No. of cases in which irregularities detected	No. of buses of Haryana Roadways checked	No. of cases in which irregularities detected
Hisar	681	18	848	44	1652	16	1923	19

Rohtak	898	93	804	58	1974	47	1837	34
Gurgaon	16	2	19	6	23	18	1262	35
Karnal	645	3	1692	25	4186	86	5187	2
Ambala	482	100	512	27	1128	42	1766	316
Narnaul	1880	6	2420	32	2740	60	2673	48
Jind	801	20	1067	27	1473	31	2811	57
Bhiwani	8	1	226	3	750	9	2035	12
Sirsa			3		4	4	3150	1
Sonepat	10	4	8	7			74	4
Kurukshetra	4900	7	3871	10	1161	7	2234	47
Faridabad					153	1	405	25
Total	10321	254	11470	239	15244	321	25357	600

At present there is no provision under the Punjab Passengers and Goods Taxation Act, 1952, for prosecution in a court of law. However, the departmental officers are competent to impose penalties u/s 14 and 14 A of the Act ibid for the contravention of the provisions of the Act and rules framed thereunder.

Allotmen/Distribution of Residential Plots

585. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) the total number of residential plots allotted/distributed to the persons belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes in each district of the State During the year 1976-77 todate, separately;

(b) the conditions of allotemnt of such plots as referred to in part (a) above imposed by the Government; and

(c) the total number of persons as referred to in part (a) above who have not taken the possession actually of those plots so far, district-wise separately?

Revenue Minister (Sh. Maru Singh Malik):

(a) Statement-I is laid on the Table of the House.

(b) Statement-II is laid on the Table of the House.

(c) The information is contained in Part (b) of Statement-I.

Statement 1

Sr. No.	Name of District	Part (a)			Part (b)		
		Total number of the residential plots allotted during the year 1976-77 (from 1-4-76 to 31-1-1977)			Total number of persons as referred to in part (a) above who have not taken the possession actually of those plots so far (from 1-4-76 to 31-1-1977)		
		Scheduled Castes	Backward Classes	Scheduled Castes	Backward Classes	Scheduled Castes	Backward Classes
1	Ambala	1169	662	1771	133	100	233
2	Kurukshetra	498	313	811			
3	Karnal	1118	3308	4426	743	2717	3460
4	Sonepat	3858	3317	7175			
5	Rohtak	6997	3664	10661			
6	Hissar	476	13	489	155	99	254

7	Sirsa	124	58	182			
8	Bhiwani	2322	1506	3828			
9	Gurgaon	5584	5066	10650	174	98	272
10	Mohindergarh	2300	1858	4158	70	160	230
11	Jind	3471	1595	5066	219	70	289
		27857	21360	49217	1494	3244	4738

Statement II

1. The allottee shall not sell, lease, mortgage or dispose of the allotted plot in any other manner whatsoever, before the expiry of a period of twenty years from the date of allotments, provided that the allottee amy mortgage the plot with any Scheduled Bank or the Government for the purpose of raising loan for the construction of a house thereon.

2. The allottee shall construct a house on the plot within a period of two years from the date of possession.

3. the allottee shall use the plot for residential purpose and for no other purpose.

4. In case of death of the allottee, his legal heirs shall be bound by the conditions herien contained.

5. In case of breach of any of the terms and conditions specified above, the Government or any officer authorised by it may, after affording a reasonable opportunity of being heard to the allottee, cancel the allotment of plot and resume the allotted plot.

6. If at any stage it is found that the allotment of the plot has been made to an ineligible person or on the basis of wrong facts or the same has been secured by misrepresentation, suppression of facts or by fraud, the Government or any officer authorised by it shall be at liberty ot cancel the allotment and resume the plot, after giving an opportunity to the allottee to be heard.

7. (a) When a plot has been resumed under condition no. 5 or 6 the allottee shall not be entitled to any compensation in respect of any expenditure incurred for whatsoever purpose such as development, constructions, etc. made by him on such a plot.

(b) The resumed plot shall pass to the Government without any encumbrances and the Government shall be at liberty to dispose it of in any manner it likes.

Schools opened in the State

586. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Education be pleased to state the number and names of new Primary, Middle and High/Higher Secondary Schools opened in each district of the State during the years 1975-76 and 1976-77 to date, separately together with the number of teachers appointed in each case?

Education Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma):

1.	1975-76		Nil	
		(i)	Middle/High and Hr. Sec. School	Nil
		(ii)	Primary School	One

			Govt. Girls Primary School, Amargarh, Tehsil Narwala (Jind)
			At present one JBT Teacheris posted there.

Village affected by Floods and Heavy Rains

587. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) the district-wise total number of villages affected by floods and heavy rains in the State during the period from 1-7-76 to date;

(b) the district-wise loss sustained by each village as referred to in part (a) above; and

(c) the steps taken by the State Government to save the lives and property of the villages as referred to in part (a) above, together with the relief given in each case, separately?

Subject: Unstarred Assembly Question No. 587 asked by Ch. Ram Lal Wadhwa, M.L.A., regarding village affected by floods and heavy rains.

The Unstarred Assembly Question No. 587 appearing in the list of Unstarred Question on the 26th March,

1977, in the name of Revenue Minister, Haryana, is not ready as the replies from Commissioners have not been received so far.

2. The reply will be submitted as soon as the relevant information has been collected.

Sd/-

Revenue Minister.

To

The Secretary,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

U.O. NO. 1680-(VS)-STER-V-77/SI. Chandigarh dated the 25-3-77

कार्यमंत्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

Mr. Speaker: I report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.

"The Committee met at 11.00 a.m. on Friday, the 25th March, 1977, in the Chamber of the Speaker.

The Committee, after some discussion, recommended that the Assembly shall meet on the 26th, 28th

and 29 March, 1977, and will transact the business as follows:-

Saturday, the 26th March, 1977 (At 9.30 a.m.)

1. Question Hour.

2. Second Report of the Business Advisory Committee.

3. Presentation of three Preliminery Reports of the Committee of privileges and for asking extension of time for the presentation of final Reports thereon by the 30th November, 1977.

4. Legislative Business.

1. The Haryana Appropriation Bill, 1977, in respect of Budget for the year 1977-78.

2. The Haryana Appropriation Bill, 1977, in respect of Supplementary Estimates (Third Instalment) for the year 1976-77.

3. The Haryana Appropriation Bill, 1977, in respect of Excess Demands for the year 1971-72.

4. The Haryana Appropriation Bill, 1977, in respect of Excess Demand for the year 1972-73.

5. The Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill, 1977.

6. The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 1977.

7. The Haryana Urban Development Authority Bill, 1977.

8. The Haryana Legislative Assemly (Allowances of Members) Amendment Bill, 1977.

9. The Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1977.

10. Other Government Bills, if any.

27th March, 1977 (Sunday) Holiday.

Monday, the 28th March, 1977 (at 2.00 p.m.)

1. Question Hour.

2. Discussion on Governor's Address.

Tuesday, the 29th March, 1977 (at 9.30 a.m.)

1. Question Hour.

2. Motion under Rule 16 regarding Adjournment of the Sabha Sinedie.

3. Resumption of discussion on Governor's Address and Voting on Motion of Thanks."

Transport Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to move –

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Motion moved –

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Question is –

That this House agrees with the recommendations contained in the Second Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

विशेशाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन पेश करना तथा अंतिम प्रतिवेदन देने का समय बढ़ाना।

Sh. Gulab Singh Jain (Chairman, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the fifth preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege against the Editor, Printer and Publisher of the Daily Newspaper "The Motherland" for publishing news-item in its issue dated the 12th July, 1974, under the caption –

"Bansi Lal's throne rocked by three incidents"

Sir, I beg to move –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 30th November, 1977.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 30th November, 1977.

Mr. Speaker: Question is –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 30th November, 1977.

The motion was carried.

Sh. Gulab Singh Jain (Chairman, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the firth preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege agaisnt Ch. Chand Ram, M.L.A. for making a statement and Sh. Ramesh Chander, Printer, Editor and Publishers of the Daily Newspaper "Punjab Kesari" for publishing it as also the distorted version of the proceedings of the House it its issue dated 1st December, 1974, under the caption "विपक्ष हरियाणा विधान सभा के शेश अधिवेशन का बाईकाट करेगा।"

Sir, I also beg to move –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 30th November, 1977.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 30th November, 1977.

चौ. शिव राम वर्मा (नीलोखेड़ी): अध्यक्ष महोदय, यह जो अधिक समय मांगने के लिये यहां पर प्रिविलेज कमेटी के चेयरमैन महोदय ने प्रस्ताव पेश किया है, इसके बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि बहुत अर्सा इस बात को हो गया। अब तक कोई कार्यवाही इस बारे में नहीं की जा सकी। इससे पहले जो मोशन थी, उसकी भी यही हालत थी और अब भी जो इन्होंने प्रस्तुत की है, इसकी भी यही हालत है। मैं यह समझता हूं कि जो भी झगड़ा चल रहा है, आजकल के वातावरण को देखते हुए समाप्त कर देना चाहिए। इस तरह से जिस तरह से यह समय मांगते जा रहे हैं, और समय मांगते रहने से कोई लाभ नहीं होगा, हसमें कोई ऐसी–वैसी बात निकलने वाली नहीं है जिससे कोई ऐसा नतीजा निकाल सके कि कोई गलती हुई है। इसलिये मैं आपके द्वारा सदन के सामने यह सुझाव रखना चाहता हूं कि प्रिविलेज कमेटीं के सामने जो भी इस प्रकार के प्रस्ताव हैं, उन सबको समाप्त किया जाना चाहिए ताकि यह इतने दिनों से चलते हुए झगड़े समाप्त हो सके। इन झगड़ों में आज तक कुछ नहीं किया जा

सका। आगे पता नहीं कब तक यह झगड़े यू ही चलते रहेंगे। इसलिए अच्छा तो यही रहेगा कि इन झगड़ों को समाप्त कर दिया जाये। मेरा यह प्रस्ताव है। आशा है सदन मेरे इस प्रस्ताव पर विचार करेगा और इसे स्वीकार करेगा।

श्री गुलाब सिंह जैन: अध्यक्ष महोदय, दरअसल प्रिविलेज कमेटी को टाईम इसलिए मांगना पड़ा क्योंकि जिनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन थी, वह इस कमेटी के सामने किन्हीं कारणों से पेश नहीं हो सके। वे हमारे से टाईम मांगते रहे। इसलिये प्रिविलेज कमेटी अपनी रिपोर्ट हाउस को नहीं दे सकी। अब हम जल्दी ही अपनी रिपोर्ट हाउस को दे देंगे।

Mr. Speaker: Question is –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 30th November, 1977.

The motion was carried.

Sh. Gulab Singh Jain (Chairman, Committee of Privileges): Sir, I beg to present the firth preliminary Report of the Committee of Privileges on the matter in regard to the question of alleged breach of privilege agaisnt Sh. Lalit Mohan, Editor and Sh. Virender, M.A., Publisher and Printer of the Daily Newspaper "Vir Partap" Jullundur, for writing derogatory remarks against the Hosue and its Members in its issue dated the 10th January, 1975, under the caption.

''चौ. हरद्वारी लाल का कसूर क्या है?''

Sir, I also beg to move –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 30th November, 1977.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 30th November, 1977.

Mr. Speaker: Question is –

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the 30th November, 1977.

The motion was carried.

दी हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं. 4) बिल, 1977

Finance Minister (Sh. Ram Sarna Chand Mital): Sir, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 4) Bill, 1977.

Sir, I also beg to move –

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved –

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

चौ. शिव राम वर्मा (नीलोखेड़ी): अध्यक्ष महोदय, यहां पर बजट के ऊपर बहस चलती रही और कल डिमान्डज के ऊपर भी विचार हुआ और अब यह विनियोग बिल सदन के सामने आया है। बजट की चर्चा के बीच में कुछ ऐसी बातें आती रही, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि जो केन्द्र में सरकार बनी हैं यह तो इनफैक्टिव सरकार बनी है। स्पीकर साहब, मैं तो नहीं समझता कि इन्होंने उसे कैसे इनइफैक्टिव समझ लिया।

मुख्यमंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, वह बात बिल्कुल समाप्त हो चुकी है मैंने वह सारी बात वापिस ले ली थी। उस बात की चच्रा अब करने की आवश्यकता नहीं है।

चौ. शिव राम वर्मा: मैं तो इनकी सरकार को इनइफेक्टिव समझता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप सिर्फ ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बात करें।

चौ. शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, इनकी सरकार बिलकुल इनइफेक्टिव रही है क्योंकि मैंने यह देखा कि कई मीटिंग्ज मे ंकई जगह पर मंत्री महोदय भी अध्यक्ष पद पर बैठे होते थे और डिप्टी कमिशनर मंत्री की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। मंत्री डिप्टी कमिश्नर को सुनता रहता लेकिन उसकी हिम्मत

न होती थी कि वह डिप्टी कमिश्नर को यह कह सके के मैं भी अध्यक्ष के रूप में यहां बैठा हूं तो आप जवाब क्येां देते हैं। पता नहीं डिप्टी कमिश्नर का क्या दबाव इन पर होता था कि मंत्री महोदय उसी बात का समर्थन करते थे। मंत्री को पता नहीं किस बात का डर लगा रहता था। हो सकता हे कि ये सोचते हों कि डिप्टी कमिश्नर मुख्यमंत्री को जो कुछ कहें और वे डिप्टी कमिश्नर की बात ही मानें। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि यह सरकार ही इनइफेक्टिव रही है। सारी की सारी ताकत बड़े–बड़े अफसरों के हाथ में दे दी गई है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि मंत्री और विधायक और विधायकों में कांग्रेस के विधायक भी आ जाते हैं, डार के कारण चुप रहते थे ....

Mr. Speaker: Order please. No reflection on the Hon. Members.

चौ. शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, यह रिफलेक्शन तो नहीं है। मैं तो इनकी मजबूरी बता रहा हूं कि यह सरकार कितनी इनइफेक्टिव रही है ओर जो उसका कारण .....

शिक्षा मंत्री (पंडित चिरन्जी लाल शर्मा): स्पीकर साहब, सरकार इस हद तक इनइफेक्टिव रही है कि इनको गिरफतार नहीं किया।

चौ. शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, इनका तो यह हाल हुआ कि यह मंत्री थे और इनकी कार के आगे नारे लगते रहे

चिरन्जी लाल मुर्दाबाद यह सब नारेबाजी यूथ कांग्रेस ने की। (व्यवधान)।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: स्पीकर साहब, हमने तो यह शराफत दिखाई, यह तो डेमोक्रेसी का रास्ता है कि किसी वजीर के खिलाफ कोई नारेबाजी हो और हम फिर भी कोई ऐक्शन नहीं लेते। (व्यवधान)

चौ. शिव राम वर्मा: फिर लोगों को ऐमरजेन्सी में बन्दर करके क्या रखा गया? लोगों को डर के वातावरण में रखा गया। यह सरकार बिल्कुल प्रभावहीन रही है। ऐडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसा डर लोगों के दिलों में बैठा दिया कि वे सोचने लगे कि यहां हो क्या रहा है। इनको नई केन्द्रीय सरकार को इनइफेक्टिव कहने का अधिकार क्या है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री कुछ विचलित हो गये हैं और इसी कारण कभी विरोधी पक्ष से आश्वासन मांग रहे हैं........

Mr. Speaker: Order please. This is not relevant. आप सेन्ट्रल गवर्नमैंट को कैसे रैफर कर रहे हैं। आप ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोल रहे हैं या आप कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के लिए खड़े हैं। You are making a speech on the Appropriation Bill. Please try to be relevant.

चौ. शिव राम वर्मा: मैं रैलेवेन्ट बात ही कह रहा हूं। बजट स्पीच में इरीगेशन की चर्चा है और यहां कहा गया है कि

पानी में हरियाणा का हिस्सा कम न हो जाए मैंने इसका जवाब दिया था। स्पीकर साहब, इस बारे में विरोधी पक्ष क्या जवाब दे सकात है। बड़े अचम्भे की बात है कि विरोधी पक्ष से आश्वासन मांगा जा रहा है। अगर आश्वासन लेना है तो पार्लियामेंट से मांगा जाए। वहां पर इनकी पार्टी है। वहां जाकर स्वयं मुख्यमंत्री आश्वासन लें...........

Mr. Speaker: Order please. No repetition of your own arguments and the arguments of other Hon. Members on the Appropriation Bill. I will not allow any repetition of the arguments that have already been advanced. आप ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोलें।

चौ. शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, इरीगेशन की चर्चा पर पानी का आश्वासन मांग गया है ....

श्री अध्यक्ष: मैं कहता हूं कि आप दूसरे मैम्बर्ज की आर्गूमेन्टस को रिपीट न करे।

चौ. शिव राम वर्मा: मैंने तो यह कहा है कि पार्लियामैन्ट से आश्वासन मांगे मुख्यमंत्री का ताल्लुक केन्द्रीय सरकार से है वह केन्द्रीय सरकार से आश्वासन मांगे।

Mr. Speaker: Order please. I have already given my ruling. You are not speaking on the Appropriation Bill. You must confine yourself to the Bill undr discussion and be relevant.

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, मेरी एक सबमीशन है कि कल एक बात खत्म हो चुकी है। मैंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि सरकार के नाते मैं सेन्ट्रल गवर्नमैंट के पास जाऊंगा और अपना केस प्लीड करूंग, आर्गूमैंट करूंगा कि जो फैसला हुआ है उसको रहने दिया जाए। मैंने इन भाईयों का सहयोग मांगा और इन्होंने अपने सहयोग का आश्वासन दिया था। मैं हैरान हूं कि वर्मा साहब अब कहना क्या चाहते हैं? एक बात जब खत्म हो गई तो उसको दोहराने का फायदा क्या है? मैंने बिल्कुल साफ कहा था कि सरकार के नाते से मैं बात नहीं कर रहा हूं मैं दल के नाते से बात कर रहा हूं। सरकार के नाते तो मैं खुद सेंट्रल गर्वनमैंट से बात करूंगा। लेकिन सैंट्रल गवर्नमैंट के साथ इनके दल का सम्बन्ध है और जिस पार्टी के साथ इनका गठजोड़ था उन्होंने ऐलान किया था कि हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे। मैं केवल इनका सहयोग यह चाहता था कि आपका उस ऐलान के बारे में क्या स्टैंड है। इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने यह कह दिया था कि यह बड़ी खुशी की बात है कि इस रावी ब्यास के पानी के बंटवारे में पक्ष के और विपक्ष के सब भाई एक साथ है। अब पता नहीं कि वर्मा साहब क्या चाहते हैं?

चौ. शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, इस सरकार ने आज तक कोई आश्वासन पूरा नहीं किया। पहले चंडीगढ़ के बारे में अश्योरेंस दिया गया लेकिन वह भी चला गया फिर कहा कि

अबोहर और फाजिल्का पांच साल के अन्दर ले लेंगे लेकिन उसको भी सात साल हो गए हैं।

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: आन ए प्वाएंट आफ आर्डर, स्पीकर साहब, मैं यह पूछना चाहता हूं कि मेरे साथी मैम्बर ने जो आश्वासन दिया था क्या उसको अब वे वापिस लेना चाहते हैं?

चौ. शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, जो आश्वासन सरकार ने दिया था वह आज तक पूरा नहीं किया और दूसरों को बारबार कहा जाता है। स्पीकर साहब, हम तो अपने आश्वासन से भागेंगे नहीं। (व्यवधान) इसलिए मैंने कुछ इशारा भी दिया था कि सरकार क्यों इनइफेक्टिव है। जो वायदे किए थे वे आजतक पूरे नहीं किए गए। मैं चाहूंगा कि पिछली बातों को याद करें और उनको पूरा करने का प्रयत्न करें और सरकार को इफेक्टिव बनाएं और आगे जो भी आश्वासन दें उनको पूरा करें।

श्री बनारसी दास गुप्ता: स्पीकर साहब, सरकार इनइफेक्टिव कहां है? कल तो यह कह रहे थे कि हमारा बुरा हाल कर दिया और आज कहते हैं कि सरकार इनइफेक्टिव है। (हंसी)

चौ. शिव राम वर्मा: सरकार तो इनइफेक्टिव है। वह तो पुलिस के लोगों को सरे बाजार पीटा था। क्योंकि इनको ऊपर से हुक्म मिला और इन्होंने आगे हुक्म दे दिया कि जो भी बोले उसकी पिटाई करो। जो न्याय मांगने वाले थी, ईमानदार थे

उनको तो पीटा ग्या पर जो चोर उचक्के थे, अन्यायी थे उनको कुछ नहीं कहा गया। तो स्पीकर साहब, पिछले दिनों इस प्रकार का का वातावरण रहा है। लोगों में इतना भय था कि वे एक दूसरे के साथ बात करने से भी डरते थे, बसों में बैठकर दो आदमी बात नहीं करते थे (शोर)

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि बस में बैठकर दो आदमी बातें नहीं कर सकते, यह नहीं होता था, वह नहीं होता था, इन सब चीजों की ऐप्रोप्रीऐशन बिल से क्या रैलेवेन्सी है?

श्री शिवराम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ये सारी बातें तो सामान्य प्रशासन तथा गृह विभाग में आती है। (शोर) –

Mr. Speaker: I have already asked the hon. Member to be relevant. You are talking or irrelevant matters. You are an old Parliamentarian you must be knowing the rules. The rules are very clear. the rule reads –

> "(4) The debate on an Appropriation Bill shall be restricted to matters of public inportance or administrative policy implied in the grants covered by the Bill which have not already been raised while there levant demands for grants were under consideration".

Therefore, there will be no repetition of the arguments and no such small matters will be mentioned as the hon. Member is doing.

चौ. शिव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं इसमें ही आती हैं – (विघ्न) –

Mr. Speaker: I have given my ruling. I will not allow you to go beyond the scope of the Bill. Please be relevant.

चौ. शिव राम वर्मा: अच्छा जी, आखिर में, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इन सारी बातों में सुधार करे, अपने रवैया को बदलें और अपने अखबारों को कंट्रोल करने की कोशिश करें न कि खुद उनके कंट्रोल में रहें। वैसे तो स्पीकर साहब, यह जो इतनी बड़ी रकम इनको दी जा रही है यह किसी अच्छे कामों के लिये दी जा रही ह न कि शरीफ आदमियों के साथ ज्यादती करने के लिये, उन्हें लूटने के लिये और तंग करने के लिये दी जा रही है। अतः इस रूपये का सदुपयोग होना चाहिये न कि दुरूपयोग होना चाहिये। अगर पुलिस का यही रवैया रहा तो यह पैसा खुद ही के खिलाफ होगा और प्रान्त को कोई लाभ नहीं होगा। इसलिये मैं आपके द्वारा यह निवेदन करूंगा कि वे इन सारी की सारी बातों पर ध्यान दें और साथ ही साथ अपनी सारी मशीनरी को काबू करे और अपनी जनता को भेड़ बकरियां न समझें। इस सरकार का यह फर्ज बनता है कि यह अपनी जनता के सभी अधिकारों की रक्षा करे न कि उन्हें भेड़ बकरियों की तरह हांका

जाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने कभी आजतक किसी गल्त आदमी की हिमायत नहीं की और न ही करूंगा – (विघ्न) –

श्री अध्यक्ष: आप नहीं करते यह इस एप्रोप्रिएशन बिल में कहां है? Where is this, what you are saying, in the Appropriation Bill? Please wind up now.

Pandit Chiranji Lal Sharma: Mr. Speaker, the hon. Member has not come prepared to make a speech on the floor of the House. He is simply fishing in troubled waters.

श्री बनारसी दास गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, इसमें बिजली की बातें हैं, थर्मल प्लांट की बातें है, नहरों की बातें हैं इत्यादि, कितनी ऐडमिनिस्ट्रेशन की बातें हैं, कितनी कंस्ट्रकटिव बातें हैं, यह अपने कुछ सुझाव दें, कुछ सरकार को नुक्ताचीनी करें। हमारी समझ में नही आता आखिर यह कहना क्या चाहते हैं? यह कह कया रहे हैं?

चौ. शिव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, इसलिये मुझे यह सब कुछ कहना पड़ा क्योंकि लोगों के साथ पीछे बड़ी ज्यादतियों हुई हैं। अच्छा स्पीकर साहब, अब मैं बिल्डिंग एंड रोडज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कुछ पुलों के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। कई जगहों पर पुल नहीं बने है और लोग बरसात के दिनों में बहुत तंग होते हैं। एक गांव हथलाना, ब्लाक नीसंग, जिला करनाल में है। उसके पास से एक ड्रेन जाती है। उस गांव की आधी जमीन और स्कूल ड्रेन के दूसरी तरफ है। एक

बार हमने वहां पर कच्चा पुल बनवाया था ओर वह बरसात के दिनों में गिर गया। बरसात में हर बार ऐसा ही होता है। तो ऐसे पुलों की तरफ सरकार को खास ध्यान देना चाहिये ओर उनको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिये। सड़कें अगर कच्ची होगी तो गुजारा चल जाएगा पर पुलों के बिना लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। अतः आपके द्वारा मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इन सारे पुलो का सर्वे करवाया जाए और जल्दी से जल्दी इनका काम पूरा किया जाए। जितना रूपया इस काम के लिये दिया गया है उसमें प्रापर्टी बेसिज पर काम होना चाहिये। जहां पर बहुत अधिक जरूरत है वहां पर काम सबसे पहले शुरू होना चाहिये। सड़कों के बारे में तो इतना ही कहूंगा कि जो सड़कें दो तीन किलोमीटर के टुकडों के गैप से आपस में मिल जाती हैं उनका काम पहले होना चाहिये। वैसे इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय कह भी चुके हैं कि सड़कों के काम को भी प्रापर्टी दी जाएगी। इससे सरकार को लाभ होगा और मंडियों की आमदनी भी सरकार की ज्यादा बढ़ेगी। तो मेरी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है कि लोगों की सुख सुविधा के लिये जो यह रूपया दिया जा रहा है, इसका सदुपयोग किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं मैडीकल हैल्थ के बारे में कुछेक बातें कहना चाहत हूं। हस्पतालों में दवाईयों की कमी रहती है। मैंने इस बात को खुद भी देखा है कि जब डाक्टर के पास जाएं तो वह गरीब आदमी को मंहगी से मंहगी दवाई लिख देता है जो

कि गरीब आदमी के लिये लेनी मुश्किल हो जाती है। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि गरीब आदमी को सस्ती से सस्ती दवाईया उपलब्ध हो सके। मेरे इस सुझाव को सरकार अवश्य अपने ध्यान में रखे और कोई न कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे हस्पतालों से ही गरीब आदमियों को इवाइयां मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं सोशल वेलफेयर और रिहैबलिटेशन के बारे में कुछ कहूंगा। वैसे तो इस सम्बन्ध में कहने वाली बहुत सारी बातें है लेकिन अगर हम पहले समाज कल्याण की ही बात लें तो यह देखा गया है कि वहां पर कुन्वा–परवरी बहुत ही चल रही है। अगर एक आदमी बोर्ड में पहुच गया तो वह अपने आस पास के लोगों का कल्याण करने की कोशिश करता है। अतः सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि किसी के साथ अन्याय न हो और सभी को एक समान सुविधा मिलनी चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिये ताकि गरीब आदमियों को लाभ हो और समाज का उचित डंग से कल्याण हो।

10.00 बजे

इसके बाद स्पीकर साहब, मैं फूड एंड सप्लाई के बारे में एक बात कहना चाहता हूं यह महकमा शुरू से ही बहुत बदनाम रहा है। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आदमी बाजार से कोई चीज खरीदता है वह कन्ट्रोल भाव पर खरीदता है। इसी

तरह किसान की गेहू 105 के भाव से खरीदी जाती है और उसी गेहूं को बाद में लोगों को 135–140 के भाव से सरकार द्वारा दिया जाता है। अगर तो वही गेहूं बाजार से खरीदी जाए तब तो शायद उसे सस्ती मिल जाए लेकिन अगर सरकार या यह फूड एंड सप्लाई का महकमा देगा तब मंहगी मिलेगी। इसलिये सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि जो चीज वह किसान से खरीदती हैं उसको उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन को देख कर भाव देना चाहिये इस मदमें इसके लिये रकम भी बड़ी भारी रखी गई है जो कि 100 करोड़ रूपया है। यह तो इरीगेशन के लिए रखी गई राशि से भी ज्यादा है। मैं समझता हूं कि सरकार ने जो व्यापर अपने हाथ में लिये हैं इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार अगर व्यापार करने लगेगी तो जनता के साथ उसकी हमदर्दी नहीं रहेगी और सरकार का ज्यादा लाभ कमाने की ओर ध्यान रहेगा। यह मनोभावना खत्म होनी चाहिये कि किसान ऐ एक चीज सस्ते भाव पर खरीद कर उसी को लोगौं को मंहगे भाव पर बेचा जाए। अगर सरकार व्यापार करना ही चाहती हैं तो उसे खुले मुकाबिले में क्रय–विक्रय व्यापार करना चाहिये यानी जो ज्यादा कीमत दे वह खरीद ले। ऐसा करने के कंज्यूमर को भी लाभ होगा और प्रोडयूसर को भी लाख होगा।

इसके बाद मैं एग्रीकल्चर पर जाता हूं। मैं समझता हूं कि महकमे को जितना काम अब तक करना चाहिये था वह उसने नहीं किया है और मैं समझता हूं कि उसने करने की कोशिश भी

नहीं की। सिर्फ कागजी कार्यवाही कर दी जाती है और इतनी बड़ी–बड़ी रिपोर्टें यहां पेश कर दी जाती हैं लेकिन अमली रूप में कुछ नहीं किया जाता। पिछले दिनों पी.एल.सी. के सामने कुछ वाकयात आए। गवर्नमैट से सीड फार्म बनाए उनमें घाटा तो रहा ही है लेकिन उसके साथ–साथ सारी सुविधाएं मिलने के बावजूद जितनी पैदावार होनी चाहिये थी उससे आधी भी पैदावार नहीं हुई। कई जगह तो इसका कारण यह हो सकता है कि किसी ने परवाह नहीं करी या बीच में चोरी होती रही हो। अगर यह काम ध्यान से चलाया जाए तब तो मैं समझता हूं कि इस मद के लिये जो पैसा रखा गया है वह कम है लेकिन जिस ढंग से काम चलाया जा रहा है उस हिसाब से तो यह पैसा बर्बाद जाएगा। मैं इस संबंध में एक दो सुझाव देना चाहूंगा एक तो यह कि अच्छे बीच का बहुत जल्द प्रबन्ध होना चाहिये और वह किबना मुनाफा कमाए लोगों को दिया जाना चाहिये। इसके साथ–साथ खाद भी ठीक कीमत पर किसानों को दी जानी चाहिये। खाद के बारे में स्पीकर साहब, मैं एक बात बताता हूं कि 1973–74 में हमारी गेहूं बिकी थी 115 और 120 रूपये प्रति क्विंटल और उस साल युरिया खाद हमें मिली थी 53 रूपये बोरी के हिसाब से लेकिन 31 मई, 1974 को रात में एकदम खाद का भाव 104 रूपये बोरी कर दिया। जिन लोगों के पास खाद के स्टाक पडे थे उन्होंने बड़े हाथ रंगे। तो 104 रूपये के हिसाब से लेकर लोगों ने अपने खेतो में खाद डाली और उससे अगले साल जो गेहूं पैदा हुई वह 105 रूपये क्विंटल बिकी। तो इस प्राकर की कार्यवाही हमेशा किसान को मारने वाली

कार्यवाही होती रही है। मैं कहता हूं कि किसान को जब तक उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलेगा और उसको उसकी जरूरत की चीजें उचित मूल्य पर नहीं मिलेगी तब तक एग्रीकलचर का सुधार नहीं हो सकता। खेती हमारे देश का सबसे बड़ उद्योग है। बजट स्पीच में भी लिखा है कि 82 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर हैं तो जहां इतनी बड़ी जनसंख्या खेती पर निर्भर हो और उसका अच्छी तरह से गुजारा भी न हो सके तो मैं समझता हूं कि सरकार इस तरह ध्यान नहीं देती। अगर सरकार खेती का महकमा ऐसे मन्त्रियों को दे दे जिनको खुद ही तजरबा नहीं है या वह मंत्री ऐसा है जो अपने तौर पर काम न करके सरकार के कहने के मुताबिक ही चलता है या जो मुख्यमंत्री जी कहें वही करता है। – (विघ्न) तब इसमें कामयाबी नहीं होगी। (विघ्न) इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपने गेहूं का भाव 105 रूपये रखना है तो यूरिया का कट्टा 53 रूपये का ही होना चाहिये। कई साल पहले की बात हैं मैंने एक क्वैशचन दिया था उसका जवाब आया था और उसमें गेहूं का पैदावारी व्यय भाव 105 रूपये से कहीं अधिक बताया गया था। उसे मिलने वाले मूल्य से किसान की कास्ट आफ प्रोडक्शन काफी अधिक थी। मैं सुझाव दूंगा कि किसान को खेती के लिये और उसके घर के लिये जितनी भी चीजों की जरूरत है उसके लिये कृशि विभाग को सरकार को सुझाव देना चाहिये कि इस भाव पर किसान को यह चीज मिले। अगर कृशि विभाग पूरी जिम्मेदारी से काम करेगा तभी हमारी प्रोडक्शन बढ़ सकती है नहीं तो वही काम रहेगा कि कागजों का

पेट भर दिया और अमली तौर पर कुछ भी नहीं होगा। कागजों का पेट भरने से कुछ नहीं बनेगा पेट तो किसान ओर जनता का भरना पड़ेगा।

श्री के.एन. गुलाटी: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। ये कह रहे थे कि सिर्फ कागजी कार्यवाही हो रही है तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कागजी कार्यवाही है तो केन्द्र सरकार को पूल में आनाज हमने कहाँ से दिया? दूसरे स्पीकर साहब, टाईम की पाबन्दी होनी चाहिये, हमने भी बोलना है।

Mr. Speaker: The time limit of 15 minutes will be imposed.

चौ. शिव राम वर्मा: यह क्या बात है? क्या टाईम लिमिट हो गई? इन्होंने बोलना था तो कल क्यों नहीं बोले।

Mr. Speaker: Please wind up now.

चौ. शिव राम वर्मा: मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यह खेती का मामला है, खेती को कीड़ो से बचाने के लिए सरकार ने पूरा ध्यान नहीं दिया। कृशि विभाग के कर्मचारियों की यह जिम्मेवारी होनी चाहिए वे गांव–गांव में फिर कर खेती को देखें क्योंकि देहात में पशुओं के बारे में, खेती के बारे में लोगों में जागृति नहीं आई। वह यह नहीं जानता कि कीड़ों पर 50–100 रूपया खर्च करने से उसकी आमदनी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि उसको नुक्सान होता है, टोटा रहता है। कृशि विभाग गावं में

जाकर देखे कि कहां पर बीमारी है, जहां बीमारी है वहां दवाई छिड़कवाने का प्रबन्ध करे और दवाई छिड़कवाने पर जो जायज खचा होता है वह किसान से ले लिया जाए और वह खर्चा फसल के आने पर लिया जाए क्योंकि किसान के पास हर वक्त पैसा नहीं होता ....

श्री अध्यक्षः कल डिमांड्ज पर डिस्कशन थी, आप बोलने के लिए खड़े नहीं हुए और हाउस 3 घंटे पहले ऐडजर्न करना पड़ा। आपने उस वक्त का कोई फायदा नहीं उठाया। अब ऐप्रोप्रिएशन बिल पर डिस्कशन हो रही है और आप डिटेल में जा रहे हैं। डिटेल में डिस्कशन नहीं हो सकती। Please wind up. Only two minutes more.

चौ. शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, मैंने खेती के बारे में सुझाव दिया है, मैं सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दिया जाए। मैं आशा करता हूं कि इस रूपये का सदुपयोग होगा। मैं ज्यादा लम्बी चौड़ी बात नहीं करता। मैं थोड़ा सा इंडस्ट्रीज के बारे में कहूंगा, पहले भी मैं कई बार इस पर बोल चुका हूं और अब भी यही कहूंगा कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की ओर विशेश ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार को इन उद्योगों का सारे प्रदेश में जाल फैलाना चाहिए। अगर आप घर–घर में कुटीर उद्योग चालू करवायेंगे तो गरीब आदमी की आमदनी में बढ़ौतरी होगी। ये जो बड़े–बड़े कारखाने लगाए जा रहे हैं इनसे देश की आमदनी नहीं बढ़ेगी और न ही रोजमर्रा की

जरूरी चीजें, लोगों को ठीक दामों पर उपलब्ध हो सकेंगी, जब तक छोटे उद्योगों का देश में जाल नहीं फैलेगा। सरकार को इस प्रकार का सिस्टम बना देना चाहिए कि फलां–फलां चीज कुटीर उद्योगों में बनेगी, ग्राम उद्योगों में बनेगी। तभी देश का सुधार हो सकता है।, बजाये इसके कि हम किसी एक जगह पर उद्योगों को केन्द्रित कर दें, सब जगह फैला देना चाहिए। इस प्रकार करने से बेरोजगारी भी समाप्त होगी, देश की आय भी बढ़ेगी।

स्पीकर साहब ऐनीमल हसबेंडश्री (पशुपालन) पर मैं एक दो मिनट लूंगा। पशुओं की नसल सुधारने के लिए विशेश ध्यान देना चाहिए। इस तरफ अच्छा काम होना चाहिए। अब तक इस तरफ सुस्ती से काम चला है, ज्यादा तेजी नहीं रही। पशुओं की नसल को सुधारने के साथ–साथ उनकी खुराक को सुधारने के लिए किसानों को नई–नई जानकारी भी देनी चाहिए कि कौन–सा चारा खिलाने से दाने खिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्पीकर साहब, आपके द्वारा सरकार से एक बात और कहूंगा कि किसान जो सरकार से कर्जा लेकर पशु खरीदते हैं और दूध पैदा करते हैं, गाय, भैंस पालते हैं, उनको उनके दूध के उचित दाम नहीं मिलते। उनको दूध की उचित कीमत मिलनी चाहिए। जो मिल्क प्लांट स्टेट में लगे हुए हैं वे किसानों को उचित कीमत नहीं देते मैंने इसका डैटा देखा है। प्राइवेट वाले ज्यादा पैसे दे सकते हैं, लेकिन मिल्क प्लांट वाले नहीं देते, इसीलिए दूध की पैदावार नहीं बढ़ रही। अगर यही स्थिति रही तो उनके कर्जे उतर नहीं सकते,

वे अपना खर्चा चला नहीं सकते। उनका कर्जा यूं खड़ा रहता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए कि उनको दूध की पूरी कीमत मिले साथ ही अगली दूसरी भैंस खरीदने के लिए कोई रूकावट न आए। ऐसे प्रबन्ध भी हो। (घंटी)

स्पीकर साहब, मैं कम्युनिटी डिवैल्पमैंट के बारे में कई बार बोला हूं। अब भी कहना चाहूंगा कि चुनाव प्रचार से पहले सरकार ने डिवैल्पमैंट का काम शुरू किया था, कई जगहों पर हरिजनों के लिए मान बनाने की नीचें खुदी पड़ी हैं, दो दो ट्रक इंटों के पड़े हैं, चुनाव के दौरान इंटें पड़ी रही लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। यह इंटे सिर्फ जनता को बहकाने के लिए डाली हैं। मैं सरकार से कहूंगा कि जनता को बहकाने के लिए कोई काम न किया जाए। जो काम शुरू किया है उसको कम्पलीट किया जाना चाहिए। चाहे कोई हां भरे या 'ना' करे, सरकार की योजना ठीक ढंग से चलनी चाहिए? अगर किसी गांव ने किसी सड़क की मांग की तो वहां इंटों के दो ट्रक डाल दिए और उसके बाद कोई काम न किया यह सिस्टम अच्छा नहीं, इसको समाप्त करना चाहिए। जो भी योजना बने, उसको ईमानदारी से लागू करना चाहिए। अगर इसी रफतार से काम चलता रहा तो सौ साल से भी ये काम पूरे नहीं होंगे। हरिजनों को जो प्लाट मिले हैं, उन पर मकान बनाने के लिए पर्याप्त धन का प्रबन्ध शीघ्र हो और उसके आधे हिस्से की छूट हो और आधा बिना ब्यान का ऋण हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये प्लाट ही खत्म नहीं हो जाएंगे, वरन् कोई हरिजन

ऋण वापिस करने के काबिल नहीं होगा ओर सरकार उनको कर्जा न वापिस करने पर जेल में बैठा देगी। जिस हरिजन की भलाइ के लिए सरकार ढिंढोरा पीटती है, उसके लिए साफ दिलोदिमाग से काम करना चाहिए, इनकी तरक्की के लिए कुछ न कुछ काम किया जाना चाहिए।

अब मैं कोआप्रेशन के बारे में कहना चाहूंगा। पिछले दिनों कोआप्रेपटिव सोसायटियों के बारे में ऐसी बात हुई है। जब गरीब आदमियों को पता चला कि उनके कर्ज मुआफ कर दिए हैं, जिन्होंने किसी से 100 रूपया या 1000 रूपया लिया है वे वापिस दें या न दें, वसूली की कोई बात नहीं तो लोगों ने इन गरीबौं को पैसा देना बन्द कर दिया। जिसके 100 रूपया या 1000 रूपया फंस गया वह तो फंस गया, आगे के लिए कोई उनको धड़ी अनाज भी नहीं देता। गर इन लोगों को–आप्रेटिव सोसायटी पैसा दे देती है तो वह बेचारा इतना गरीब है कि वापिस कर नहीं सकता और कर्जा वापिस न करने पर उसको हवालात में बन्द कर दिया तो उसको कौन छुडायेगा? इसके बारे में सरकार ध्यान दे कि कौन–सा ऐसा तरीका निकाला है? अगर कोई कर्जदार जेल में बैइा दिया जाए तो वह छूटेगा कैसे? छूटने का कोन सा तरीका सरकार ने बनाया है? इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि जो पिछले कर्जे हैं उनको मुआफ करें। अगर सरकार में दम है तो कर्जे मुआफ करे, चाहे वे किसी प्रकार के भी हों, चाजे बैंको के हो, चाहे कोआप्रेटिव बैंकों के हो, ये पिछले कर्जे मुआफ करने का

प्रबन्ध करे।। ऐसा प्रबन्ध करे कि अगर वह कर्जा न दे सका तो उसकी वसूली कैसे हो? उसका काम भी हो जाए और वसूली भी हो जाए। यह नहीं होना चाहिए कि रोटी खिला दी और शाम को उसका दम घोट दिया।

श्री अध्यक्षः प्लीज वाईड अप (घंटी)।

चौ. शिव राम वर्माः स्पीकर साहब, ट्रासंपोर्ट के बारे में एक बात कहूंगा। जो छोटे–छोटे रूटस हैं उन पर बसें चलाई जाएं। ट्रांसपोर्ट का काम ठीक है, माड़ा नहीं है, लेकिन इसमें यह कमी है कि छोटे–छोटे रूटस हैं उन पर बसें नहीं चलाई जा रही। अगर चलाई जाएं तो लोगों को बड़ी सहूलियत हो सकती है। इरीगेशन के बारे में थोड़ा सा कहूंगा। इरीगेशन के बारे में जो योजना बनाई गई है वह बहुत अच्छी है, इस योजना पर ज्यादा रूपया खर्च करें तो बहुत अच्छा है क्योंकि इससे देश की पैदावार का सवाल है और पैदावार बढ़ने से देश को लाभ है और होना चाहिए, लेकिन जिस किसान ने पैदावार बढ़ाई है उसको क्या मिला? अगर आप सर्वे करवा कर देखें तो पता चलेगा कि किसान की हालत दिन–व–दिन कमजोर हो रही है। किसान के घरों पर जाकर देखें तो मालूम होगा कि किसान का बुरा हाल है। ठीक है, नहर का पानी बढ़ा, टयूबवैल्ज लगे, बिजली आई, सब कुछ किया, लेकिन जब किसान बाजार में गया तो उसको अनाज का भाव ठीक नहीं मिला। किसान की जरूरियात की जो चीजें हैं वे मंहगी मिलीं। सिंचाई का दर एकदम ढाई गुणा बढ़ा है। सिंचाई के लिए

वैसे भी जो दूसरे साधन हैं वे सारे मंहगे होते चले गएं ये सिंचाई के साधन सस्ते होने चाहिए। इसी तरह से सिंचाई की दर सस्ती होनी चाहिए। तभी लोगों की माली हालत सुधरेगी। केवल यह कह कर कि इतनी नहरें बिछा दीं, इतने टयूबवैल्ज बढ़ा दिए काम नहीं चलेगा। किसार के घर में तो पैसा आना चाहिए। किसान देश की रीढ़ ही हड्डी है। उसके घर में पैसा होगा तो सबके घरों में पैसा जाएगा। अगर किसान कमजौर होगा तो देश भी कमजोर होगा। केवल कागजों में बातें कह देने से किसान मजबूत नहीं होगा। इसके लिए तो हजमें रचनात्मक कार्य करना होगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरी इन बातों की ओर ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं।

Mr. Speaker: Order please. The hon. Member has taken forty minutes. And yesterday when the opportunity was provided to speak on demands for grants the hon. Member did not care to avail of that opportunity.

लाला रूलिया राम (घरौंडा): आदरणीय स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया। मैं कुछेक बातें आपके जरिए गवर्नमैंट के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात मैं महकमा पी.डब्ल्यु.डी. के बारे में कहूंगा। पंडित जी ने पीछे जैसे बताया था कि पिछले साल के बजट के अन्दर उन्होंने इस महकमें को 4 करोड़ रूपया दिया था लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस चार करोड़ में से तो तीन करोड़ रूपया तनख्वाह वगैरा में चला गया और सिर्फ एक

करोड़ रूपया सड़कों के लिए बचा। जरा सोचे कि एक करोड़ के अन्दर कितनी सड़कें बनाई जा सकती हैं। पांच सौ किलोमीटर तो गैप्स ही हैं। इतने पैसे में तो एक ही बात हो सकती है। या तो आप लगभग 100 किलोमीटर नई सड़कें बना लें या पांच सौ किलोमीटर जो गैप्स पड़ें है उनको बना लो। इसलिए मैं यह सुझाव दूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा रूपये इस काम के लिए दिए जा सकें उतना ही अच्छा है ताकि जो गैप्स पड़े हैं वे भी पूरे हो जाएं और नई सड़कें भी बन सकें। इसके अलावा जो सड़कें हमने बनाई हुई हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। वे दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही हैं। कहीं रोड़े उखड़े हुए हैं और कहीं मिट्‌टी उखड़ी हुई है।

इरीगेशन के मुताल्लिक भी मैं कुछेक बातें अर्ज करना चाहता हूं। इसके लिए जितना रूपया दिया जाता है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले साल फ्लड के दिनों जिन देहातों के अन्दर नुक्सान हुआ यह बात भी सबको मालूम है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी और इरीगेशन सैक्रेटरी, इरीगेशन मिनिस्टर, मित्तल साहब और गुप्ता जी को कहने के बाद भी बड़ी मुश्किल से हमारी एक करोड़ रूपये की मांग मानी गई जबकि काम पन्द्रह करोड़ रूपये का था। आज भी आप देहात में जाकर देखें देहात के देहात तबाह हो चुके है, लोगों की जमीन दरिया जमुना के अन्दर चली गई है। इसलिए मैं कहूंगा कि फ्लड कन्ट्रोल के लिए ज्यादा से ज्यादा रूपया रखा जाना चाहिए ताकि हरियाणा के

लोगों का नुक्सान न हो। यू.पी. वाले अपनी तरफ बड़े बांध लगा रहे हैं जिसकी वजह से तमाम पानी इधर आ जाता हैं इसके बारे में मैं एक चीज अपनी सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं। वह इसकी ओर विशेश ध्यान दे। लालुपुरा तक तो बंध बन चुका है और लालुपुरे से लेकर मुंडीगढ़ी तक बंध बनना जरूरी हैं क्योंकि मुंडोगढ़ी से आगे पत्थरगढ़ तक बन चुका है। यह टुकड़ा बीच में बाकी रहता हैं अगर यह न बना तो पानी ओवरफ्लो होकर गांवों में घुस जाएगा और इन लोगों की जमीनों को नुक्सान होगा। इसके अलावा इसके बारे में मेरी यह भी प्रार्थना है कि पुराने मुलाजिमों को ही वहां रखा जाना चाहिए, सिफारशी नगर आदमी वहां नहीं लगने चाहिएं क्योंकि वे ठीक से काम नहीं कर पाते।

हैल्थ डिपार्टमैंट का भी यहां जिक्र आया। वर्मा जी ने भी इसके बारे में बात की। मैं मानता हूं कि हरियाणा गवर्नमैंट के पास रूपये की कुछ कमी है लेकिन फिर भी इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। आज तो हालत यह है कि अगर एम.एल.ए. भी दवाई लेने जाता है तो उसे पर्ची लिख देते हैं और दवाई उसे बाजार से लेनी पड़ती है। अगर एक एम.एल.ए. के साथ ऐसा होता हो तो एक गरीब आदमी को कैसे दवाई मिल सकती है। मैं नहीं समझता दवाई कहां जाती है। मेरा यह सुझाव है कि इस हेरा फेरी को रोकना चाहिए। बहुत से हस्पतालों के अन्दर आदमी खाली बैठे होते हैं। यही हिसाब पी.डब्ल्यू.डी. में भी है जिसका कि मैंने अभी अभी जिक्र किया था वहां एस.ई. ऐक्सियन और एस.ओ. के पास

कोई काम नहीं है लेकिन उनकी तनख्वाह गवर्नमैंट के ऊपर पड़ रही है।

बिजली का भी सदन के अन्दर जिक्र था कि जबरदस्ती बौंड भराए जाते हैं। यह ठीक बात है। मैं अपने हल्के और जिले की बात कहता हूं। लोग बड़ी मुश्किल से अपना बिल अदा करते हैं लेकिन उनसे थर्मल प्लांट के लिए जबरदस्ती बौंड भरवाए जाते हैं।

ट्रांसपोर्ट का जहां तक ताल्लुक है, मैं मानता हूं कि इस विभाग ने काफी तरक्की की है लेकिन एक तकलीफ अब भी बनी हुई हैं। जब एक गाड़ी चण्डीगढ़ से दिल्ली जाते हुए या दिल्ली से चण्डीगढ़ आते हुए रास्ते में बिगड़ जाती है तो सवारियों को बड़ी तकलीफ महसूस होती है। इस बात का खास इन्तजाम होना चाहिए। फिर ये जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं उन्हें छोटे रूट्स पर लगा देते हैं और वे रोजाना बिगड़ी रहती हैं। मैं अपनी गवर्नमैंट से कहूंगा कि वह पुरानी गाड़ियों देहातों को न दे बल्कि नई गाड़ियां वहां दी जानी चाहिए। फिर ओवरलोडिंग पर भी कुछ लिमिट लगाई जानी चाहिए। इसके साथ ही मैं यह भी अर्ज करूंगा कि ड्राईवर्ज को कुछ कम स्पीड पर चलने के लिए कहा जाए क्योंकि वे इतनी तेज स्पीड से चलते हैं जिससे बड़े ऐक्सिडैन्ट होते हैं। भले ही उन्हे टाईम ज्यादा दे दिया जाए।

कोआप्रेशन के महकमे मैं मैं यह मानता हूं कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल कुद सुधार आया है लेकिन घपलेबाजी भी काफी हुई है क्योंकि फर्जी अंगूठे लगा करके लोग काफी लोन ले गए हैं। अब उनके हल्फिया ब्यान लिये जा रहे हैं।

अब आप देखिए मेरे जिले करनाल में दो शूगर मिल्ज हैं। एक शूगर मिल पानीपत में है और दूसरा करनाल में है। रोहतक का शूगर मिल 16 हजार क्विंटल गन्ना पेलता है और हमारा पानीपत का शुगर मिल आज 12 हजार किंवटल गन्ना पेलता है। जिस रोज इसका मुहूर्त किया गया था उस दिन बहिन शारदा रानी जी भी वहां थी। वहां पर यह कहा गया था कि यह मिल 18 हजार किंवटल गन्ना पेलेगा। आज आप उसकी रिपोर्ट मांग कर देख लें कि रोहतक का मिल तो 16 हजार किंवटल गन्ना पेल कर 96 लाख रूपये का मुनाफा दिखाता है लेकिन दूसरी तरफ हमारा पानीपत का शूगर मिल 12 हजार क्विंटल पेल कर घाटा दिखाता है। वहां पर हमारे जमींदार रो रहे हैं। इतनी गर्मी के अन्दर वे गन्ना नहीं छिल सकते, उनको आदमी गन्ना छिलने के लिए नहीं मिल रहे हैं। अढ़ाई करोड़ रूपया की मशीनरी तीन साल से इस मिल पर लगी हुई है इस पर एक लाख रूपया सूद का पड़ रहा है। अब तक यह सूद साढ़े तीन लाख रूपये हो चुका है। आप इन्क्वायरी कराइये। अगर यह गल्त बात हो तो बेशक वायरलैस से पता करवा लें। करनाल का शूगर मिल हमरा मिल है, जमींदारों का मिल है। यह हिस्सेदारों का मिल हैं यह किसी एक आदमी का

मिल नहीं है लेकिन करनाल शूगर मिल के अन्दर अप्वायंटमैंट में जो घपलाबाजी हुई, उसके बारे में हमें बड़ा दु:ख है। हम पांच एम.एल.एज. उसके मेम्बर थे। उनको पूछा तक भी नहीं गया। एक बात और आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट हिसार, डिस्ट्रिक्ट रोहतक के लड़कों की अप्वायंटमैंट पर फैमिली प्लानिंग का कोई केस नहीं लिया गया लेकिन करनाल जिले के जिलने भी लड़के इस मिल में लगे उनसे फैमिली प्लानिंग के पांच–पांच केसिज लिए गये। उन्होंने दिये और तब जाकर उनकी अप्वायंटमैंटस की गई। मेरे पास उन लोगों के नाम हैं लेकिन उनके साथ और भी ज्यादा ज्यादती यह हुई कि दस दस दिन के बाद उनको हटा दिया गया और कुछ केसिज तो ऐसे भी हैं जिन्होंने फैमिली प्लानिंग के पांच पांच केसिज भी दिये परन्तु उनको नौकरी में फिर भी नहीं लिया। आप इस बारे में बेशक इंक्वायरी करा लें, यह बिल्कुल सही बात है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में जब यह बात लाया तो उन्होंने कहा कि इसमें करनाल जिले के ही लोग लिये जायें। यह मिल करनाल जिले के जमीदारों का मिल है उनके ही लड़के इस मिल में आने चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बावजूद हमें धोखा भी दिया गया कि यहां पर एक सब–कमेटी बना दी है वह सिलैक्ट करेगी। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि जितने भी रोहतक, भिवानी और हिसार के लड़के वहां लगे हैं उन्होंने एक भी आपरेशन का केस नहीं दिया लेकिन करनाल के लड़कों ने केस भी दिये और उनको अप्वायंटमैंट नहीं दी गई। क्या करनाल के अन्दर लोग नहीं बसते

हैं? करनाल जिला सबसे ज्यादा अनाज पैदा करता हैं, सबसे ज्यादा आमदनी करनाल से सरकार को होती है लेकिन उनके लड़के नहीं लगाये गये।

बिजली के मामले में आप देखिए हमारे साथ क्या हाल होता है? हमारे जिले के लोग रात को मरते हैं। उनको सर्दियों में रात को बिजली दी जाती है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह बिजली दिन में कहां जाती है? हमारे हिस्से में रात को ही आती है। करनाल जिला खेती के हिसाब से सबसे ज्यादा अनाज पैदा करता है लेकिन वहां के जमींदारों को घंटों बिजली के लिए इंतजार करनी पड़ती है। कभी रात को दस बजे बिजली आती है तो कभी 11 बजे बिजली आती है। फरीदाबाद में या भिवानी में दिन को जाती है या रात को जाती है यह हमें पता नहीं हैं लेकिन हमारे यहां करनाल में तो हमेशा रात को ही आती है।

श्री के.एन.गुलाटीः आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। करनाल जिला सबसे ज्यादा अनाज पैदा करता है तो इसका मतलब यह है कि बिजली भी वहां मिलती है। दूसरी तरफ यह फरीदाबाद का नाम ले रहे हैं। फरीदाबाद में तो बिजली बनाने जा रहे हैं।

लाला रूलिया रामः स्पीकर साहब, नयी मुसलामानी अल्लाह ही अल्लाह पुकारे। आप नये नये कांग्रेस में आये हैं इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं। (विघ्न)

श्री के. एन. गुलाटी: आप भी तो सी.एफ.डी. में गये हो? (विघ्न)

लाला रूलिया राम: स्पीकर साहब, अब मैं एग्रीकल्चर के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। भाई शिवराम जी ने बहुत बातें यहां हाउस में एग्रीकल्चर के बारे में बतायी हैं। उन्होंने कहा कि जमींदारों का माल कम कीमत पर लिया जाता है। मैं आपके द्वारा सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि उनका माल ठीक भावों पर लिया जाये और फर्टैलाइजर की जो बहुत ज्यादा कीमत है उसको भी कम कर दिया जाये। इस तरीके से जमीदारों को थोड़ी सी सहूलियत दी जाये।

स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए गवर्नमैंट के नोटिस में एक बात लाना चाहता हूं कि जितने भी ऐग्रीकल्चर इन्सपैक्टर हैं ये जीप लिए दौड़ाये फिरते है लेकिन किसी भी जमींदार के खेत में जाने के लिए तैयार नहीं हैं। ये किसी भी आदमी के खेत मैं जायें, वहां जाकर जमींदार के खेत में यही देख लें कि कनक ठीक तरह से बोयी है, गन्ने की बीजाई ठीक हुई हे या नहीं और जहां तक ग्राम सेवक का संबंध है उसका तो कहना ही क्या है। वह भी कहीं भी किसी खेत में नहीं जाता। मैं गवर्नमैंट से कहूंगा कि अब आगे धान की फसल आयेगी उसके बारे में जमींदारों को बताया जाये। पिछले दिनों शिन्दे साहब आये थे तो उनसे भी मैंने कहा था कि इन इन्सपैक्टरों को यहां से हटा दो, ये सारे ही इधर आ गये हैं। मैं आपके जरिए सरकार से रिक्वैस्ट करूंगा कि कम

से कम इन्सपैक्टर खेतों में जाकर देखें कि किस फसल को क्या बीमारी है ताकि उसको जमीदार रोक सके और फसल अधिक पैदा हो सके।

अब मैं इन्डस्ट्री के विशय में भी कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हरियाणा में इन्डस्ट्री ज्यादा से ज्यादा फैले, बड़ी अच्छी बात है और इस मामले में हमारा हरियाणा बहुत आगे भी निकल रहा है लेकिन इन्डस्ट्री को देहातों के अन्दर लगाया जाना चाहिए। यह ही कि फरीदाबाद में ही सारी इन्डस्ट्री लगे (विघ्न) देहातों के अन्दर पांच–पांच या सात सात गांवों की एक यूनिट बना कर एक फैक्टरी लगा दी जाये जिससे वहां के गरीब आदमियों का भी फायदा हो सके। यह सबसे जरूरी चीज है। गावों में इन्डस्ट्री लगाने से गरीब आदमियों को भी रोजगार मिल सकेगा।

अब मैं फूड एंड सप्लाई डिपार्टमैंट के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं इस डिपार्टमेंट में बड़ा घपला होता है। जब एक ऊपर से बात नहीं चलेगी तब तक नीचे वाला कुछ नहीं कर सकता। एक दफा मुझे एक डी.एफ.ओं. ने एक बाद बताया कि मैं पचास हमार रूपये चंडीगढ़ देकर आता हूं। मैंने मिनिस्टर साहब से पूछा कि यह पचास हजार रूपया तेरे तब आ गया।

श्री के. एन. गुलाटीः किस अफसर ने यह कहा, कया आप एफीडेविट देने के लिए तैयार हो?

लाला रूलिया रामः मैं तो वेसे ही बात बताना चाहता हूं। मैं आपके जरिए गवर्नमैंट से रिक्वैस्ट करूंगा कि इस बात को कन्ट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन बड़ा दुःख है कि हमारे जितने भी अफसर हैं, दुकानदार हैं या और दूसरे आदमी हैं वे सब डी.एफ.ओं. के इशारे पर काम करते हैं। एक और मैं जनरल सी रिकवैस्ट करना चाहता हूं। मेरी रिक्वैस्ट यह है कि जो झंडे मुफ्त में गाड़े जाते हैं, करनाल में, पानीपत में अम्बाला में जब भी कोई मिनिस्टर आये तो उसके स्वागत में मुफ्त झंडे गाड़ दिये जाते है, इनको परमानैन्ट ही कर दिया जाये ताकि जो भी वहां पर जाये उसका स्वागत हो सके। हम यह देखते है कि रोजाना लगाने उतारने में लोगों को बड़ी तकलीफ होती है।

इसके बाद में एक बात नसबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं। यह ठीक हे कि नसबन्दी होनी चाहिए। नसबन्दी होना एक अच्छी चीज है लेकिन इसको करने के लिये जो रवैया अपना रखा था, वह बिलकुल ठीक नहीं था। वह थोड़ा–सा खराब था। मैंने यह ज्यादती होती अपनी आंखों से देखी है लेकिन मैंने यह ज्यादती होती अपनी आखों से देखी है लेकिन हम क्या करते हमारी जबान को ताले लगे हुए थे। यह लोग क्या करते थे कि रात को चले गये कभी सवेरे तड़के चले गये और जो भी बूढ़ा या जवान जैसा भी मिला, उसी को पकड़ कर ले गये। मैंने अपने

गवर्नर साहब को भी जब वे करनाल में आये थे तो यह सुझाव दिया था कि बी.डी.ओ, एस.डी.एम., तहसीलदार, ग्राम सेवक और उस इलाके के एम.एल.ए. को मिलाकर एक कमेटी बना ली जाये जो कि गांव में जाये। अगर वहां पर 18—20 केस होंगे तो 15 तक आपको मिल ही जायेंगे। गवर्नर साहब ने वहां पर टण्डन साहब को यह कहा कि इनके सुझाव पर गौर कर लो लेकिन इन्होंने उस पर विचार न किया और अपना रवैया जारी रखां क्या होता था, कट—कटाई दबा—दबं कोई अम्बाले जा रहा है तो उसका पता नहीं कि वह अम्बाले भी पहुंच गया है। कोई दिल्ली जाने वाला था, उसका कोई पता नहीं था किवह दिल्ली पहुंचा भी या नहीं। कोई अगर फरीदाबाद जाने वाला था तो उसका भी गुलाटी साहब को पता नहीं था कि वह पहुंचा या नहीं। उनकी रजाईयां अब भी वहां पर बाहर ही पड़ी हैं। एक बात मैं आपके द्वारा चीफ मिनिस्टर साहब से यह रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि वे इस ओर ज्यादा ध्यान दें। एक मेरे यहां बरसत से लेकर कलाहेड़ी तक का सड़क का कुल 2 किलोमीटर का टोटा है, इसको कम्पलीट किया जाये क्योंकि मार्किट कमेटी ने अपना पैसा भी जमा करवाया हुआ है। इसके अलावा एक सड़क पुंडरी से कैमला तक की है। इसके लिये मैंने चीफ मिनिस्टर बंसी लाल जी को भी कहा था जब वे यहां पर थे कि इस सड़क के न होने की वजह से मार्किट कमेटी को 20000 रूपया घाटा पड़ रहा है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाशण समाप्त करता हूं।

श्री के.एन. गुलाटीः(फरीदाबाद)ः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के हम में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हरियाणा ने पिछले 10 सालों में इतनी भारी तरक्की की है जिसकी कोई मिसाल नहीं। आप अंग्रेजो के जमाने की हालत देखिये और अक की देखिये तो यह पता चलेगा कि कांग्रेस के 30 साल के राज में बहुत तरक्की भारत में हुई है। मैंने सन् 1947 से पहले का नक्शा देखा है और कांग्रेस के 30 साल के राज क बाद का नक्शा भी देखा है। लेकिन ऐसी हालस मैंने अपने जीवन के अन्दर कभी नहीं देखी जो आज देखने को मिलती है। आज हाउस के अन्दर बैठे हुए चन्द अपोजीशन के भाई अपनी आरजी जीत देखकर कुछ ज्यादा ही समझ बैठे हैं। इनको पता होना चाहिये कि जीवन में हार–जीत और ऊंच नीच तो आती ही रहती है लेकिन आदमी को अपना दिमाग बैलेन्स रखना चाहिए।

चौ. राम लाल वधवाः कया यह एप्रोप्रिएशन बिल पर डिस्कशन हो रही है?

चौ. शिव राम वर्माः यह जीत तो जनता की है। हमारी कहां है? यह तो जनता की जीत है।

श्री अध्यक्षः आप किस डिमांड पर बोल रहे है?

श्री के. एन. गुलाटीः मैं डिमांड न. 1 से 25 तक जो हरियाणा की तरक्की हुई है, उस पर बोल रहा हूं। मैं यह

कहनाचाहता हूं कि एग्रीकल्चर, हैल्थ, इरीगेशन, इंडस्ट्रीज, स्कूल और कालेज, पशुपालन, फूड एंड सप्लाई ओर फिशरीज वगैरा में कितनी भारी तरक्की हुई है। यह हमेशा सच्चाई को यहां पर छुपाने की कोशिश करते हैं। यह सच्चाई को झूठ बोलकर छिपाने की कोशिश करते है। मगर मैं यह कहना चाहता हूं:

''सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से,

खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से।''

''गिरते हैं शाह सवार मैदाने जंग में

वह तिफ्ल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले।''

हरियाणा मैं हुई तरक्की को देखकर स्पीकर साहब, मैं फख्र के साथ यह कह सकता हूं कि जो पिछले 10 सालों में तरक्की हुई है, इसको आज किसान क्या मजदूर कया, यानी हरेक वर्ग का आदमी महसूस करता है।

चौ. राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, इनकी पिछले 4 साल पहले की स्पीच निकलवा कर देख लीजिये तो पता चल जायेगा कि क्या हकीकत है। (व्यवधान एवं शोर)

श्री के. एन. गुलाटी: हर आदमी जो जीता है वह मरता भी है। तकलीफे भी आदमी के साथ–साथ चलती रहती हैं लेकिन यह कह देना कि कुछ हुआ ही नहीं, यह सरासर अन्याय है। हरियाणा का एक–एक बच्चा यह जानता है कि उसके जीवन में

कितना परिवर्तन आया है? उसके जीवन में कितनी खुशहाली आयी है? इसके लिये मैं धन्यवाद दूंगा चौ. बंसी लाल जी को और बनारसी दास गुप्ता जी को। हरियाणा का बच्चा–बच्चा हरियाणा की तरक्की के लिये चौ. बंसी लाल और गुप्ता जी को कभी भूल नहीं सकता। कुछ मेरे कुछ अपोजीशन के भाई कितना गल्त बोले उसकी मैं आपको एक मिसाल पेश करना चाहता हूं। (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई) हमारे भाई राम लाल जी यह कहने लगे कि फरीदाबाद के अन्दर मजदूरों की छांटी हुई। क्या मे। राम लाल जी से यह पूछ सकता हूं कि वे किस दुनिया में रहते हैं। उन्हें करनाल के मुताल्लिक तो पता नहीं और वे बात फरीदाबाद की करते हैं। मैं हाउस को यह बता देना चाहता हूं कि फरीदाबाद में कोई छांटी हुई। क्या मैं राम लाल जी से यह पूछ सकता हूं कि वे किस दुनिया में रहते हैं। उन्हें करनाल के मुताल्लिक तो पता नहीं और वे बात फरीदाबाद की करते हैं। मैं हाउस को यह बता देना चाहता हूं कि फरीदाबाद में कोई छांटी नहीं हुई। वहां पर एक फैक्ट्ररी है। वहां पर लोगों को रिट्रैन्चमैंट का कुछ महीने पहले नोटिस दिया गया था। स्पीकर साहब, मैं अपने मुख्यमंत्री श्री गुप्ता जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कोशिश करके वह रिटैन्चमैंट का नोटिस वापिस दिलवाया। वहां के लोग गुप्ता जी के इस अहसान को भूल नहीं सकते। आज भी फरीदाबाद के मजदूर गुप्ता जी को इस अच्छाई को याद करते हैं। एक आनरेबल मैम्बर की बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस हाउस के अन्दर उसे ठीक

तरह से और सच्च बोलना चाहिए। वह आंकड़े देकर बोले वरना सदन का वक्त जाया न करें। (व्यवधान एवं शोर)

चौ. राम लाल वधवा: उपाध्यक्ष महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर छांटी हुई है। अगर गुलाटी साहब अब भी जिद्द पर अड़े रहे तो फैक्टस को वैरीफाई करवा लिया जाये। वरना तो मुझे पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन पर खड़ा होना पड़ेगा।

उपाध्यक्षा: आप क्या प्वायंट आफ आर्डर पर खड़े हुए है?

चौ. राम लाल वधवा: जी हां, मैं प्वायंट आफ आर्डर पर खड़ा हुआ हूं। यहां पर एक मैम्बर को मैन्शन करते हुए यह कहना कि जो कुछ उन्होंने कहा है, वह गल्त है, यह क्या उचित है? इनके पास क्या इस बात का कोई सबूत है? ....(व्यवधान एवं शोर)

श्री के. एन. गुलाटी: मैंने इस बात को साबित कर दिया है। इसके साथ–ही–साथ अगर मैं फरीदाबाद के मुताल्लिक कुछ न कहूं तो मैं अपना फर्ज नहीं निभाऊंगा। मैं अपने फर्ज को निभाते हुए फाइनैंस मिनिस्टर साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से यह रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि मेरे एक दो सुझाव जोकि फरीदाबाद की इम्प्रूवमैंट के बारे में है, को मान लिया जाये। सबसे पहले तो मेरी मांग यह है कि फरीदाबाद को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया जाये। दूसरे फरीदाबाद कम्पलैक्स को एक कारपोरेशन का रूप दे दिया जाये तो अति कृपा होगी। इसके साथ–ही–साथ मैं उन्हें यह

बताना चाहता हूं कि फरीदाबाद में 500 बैडिड अस्पताल की अत्यन्त आवश्यकता है। वहां पर अस्पताल रोहतक में ही है। इसके इर्द–गिर्द होडल तक कोई 500 बैडिड अस्पताल नहीं है। इसलिये यह मेरी मांग है कि फरीदाबाद के अन्दर 500 बैडिड अस्पताल खोला जाये। एक मेरी मांग यह भी है कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट लैवल के सारे आदमी हैं, फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल ऐरिया है और बिजनैस सैंटर है, वहां पर 5 लाख की आबादी है। वहां की ट्रेजरी को डिग्रेड न किया जाये। नये सिस्टम के अन्दर यह एक इंडिपैडैंट ट्रेजरी ही रखी जाये। एक मेरी मांग यह भी है कि वहां पर जो पुलिस चौकी है उसको पुलिस थाना बना दिया जाये। मेरी मांग यह भी है कि एक एक चौकी के अन्दर टेलीफोन होना चाहिए। जहां हम दूसरी जगहों पर वायरलैस सैट्स वगैरा भी सप्लाई कर रहे हैं, वहां पर मेरी प्रार्थना यह है कि हरेक चौकी पर टेलीफोन अवश्य होना चाहिये। डिप्टी स्पीकर साहिबा, बल्लभगढ़ में जुडिशियल लाक–आप है मैं चाहूंगा कि उसको सब–जेल बनाया जाए।

फरीदाबाद में काफी डिस्ट्रिक्ट लैवल के आफिसिज हे हजारों रूपया हम किराया का देते हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ये सारे आफिस पापूलेशन के नजदीक होने चाहिए। इस समय काफी दूर–दूर आफिस हैं लोगों को बहुत परेशानी होती है या सरकार वहां पर एक मिनि–सैक्रेटैरियट बनाए जिसमें सारे आफिस

इकट्ठे आ सकें। डिप्टी स्पीकर साहिबा फरीदाबाद में लोकल बसे बहुत कम हैं मेरी प्रार्थना है कि उनकी तादाद बढ़ाई जाए।

प्रापर्टी टैक्स जो इस समय 25 प्रतिशत चार्ज किया जाता है उसको दुबारा सर्वे किया जाए और सैल्फ लिविंग पर भी टैक्स लगाकर बारह या पन्द्रह प्रतिशत कर दिया जाए जिससे उन लोगों को राहत मिल सके।

सेल्जटैक्स को अगर फसर्ट स्टेज पर एकसाइज डयूअी के रूप में लगाया जाए तो अच्छा रहेगा। फरीदाबाद में सिविल सप्लाई का बहुत बड़ा काम है। वहां कैथल की तरह डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई आफिसर की बजाए डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई कन्ट्रोलर रखा जाए। ऐसा करने से सिविल सप्लाई विभाग को बहुत सहुलियत होगी। सिविल सप्लाई के आफिस में टेलिफोन नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि वहां पर टेलीफोन लगाया जाए। शूगर का कोटा भी कम है उसको बढ़ाया जाए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपको मारफत सरकार से कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट एम्पलाइज इक्लूडिंग टीचर्ज को कच्चा न रखा जाए। उनको दो साल के अन्दर परमानेन्ट कर दिया जाना चाहिए। ट्रांसफर के बारे में मैंने पिछले सैशन में भी कहा था और आज फिर दोहराता हूं कि अप्रैल और मई के महीने में ट्रांसफर्ज होने चाहिए मई के बाद कोई भी ट्रांसफर न हो। मेरी यह भी प्रार्थना है कि अच्छा होगा कि सरकारी मुलाजिमों को

अपने होम पर रखा जाए और सरकारी मुलाजिमों को विलिज अलाउन्स दिया जाए। सिटी अलाउन्स खत्म किया जाए ताकि हर मुलाजिक शहर की तरफ न भागे।

अब मै। रोड्ज के बारे में कहना चाहता हूं। पाली रोड कम्पलीट होनी चाहिए। इस रोड के बारे में 1972 के सैशन में अश्योरेस मिली थी। इस रोड का कुछ पोरशन बाकी रहता है। इसके बनने से फरीदाबाद और गुडगांव का फासला 35 मील की जगह 20 मील रह जाता है। एक और रोड निबादा–डब्बा गुरूदवारे तक बनाई जाए। इस पर पत्थर भी पड़े हुए हैं। बल्लभगढ़ पुल से 25 सैक्टर तक की सड़क बहुत खराब है इस सड़क को ठीक किया जाए। फरीदाबाद काम्पलेक्स में जो सड़के खराब हैं उनकी रिपेयर होनी चाहिए।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं एजूकेशन पर आता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि स्कूल वाकई अपग्रेड होने चाहिए। फरीदाबाद में गवर्नमैंट नेहरू कालेज में एम.ए. क्लासिज में दो सब्जेक्ट्स दिए जाएं हिन्दी और पोलिटीकल साइंस। ये दोनों सबजेक्टस देना बहुत जरूरी है। टीचर्ज के लिए डी.ए. में जो कट लगाई हुई है उस डी.ए. कट को रेस्टोर किया जाए। एग्जामिनेशन के लिए हरियाणा में बाहर के लोगों से डौमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं। मेरा कहना यह है कि बाकी चीजों के लिए तो ठीक है कि डौमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाए लेकिन इम्तहान के लिए न सिर्फ हरियाणा में बल्कि भारत मैं कही भी यह सर्टिफिकेट

एग्जामिनेशन के लिए न मांगा जाए। टीचर्ज के ऐिल जो पास बुक छप रही हैं उनको जल्दी छपवाकर उनको दिया जाए। एजूकेशन बोर्ड थर्ड डिविजन में जो पास होते हैं उनको मार्कशीट इशू नहीं करता। मार्कशीट के बिना एडमिशन नहीं मिलता। मेरी प्रार्थना है कि थर्ड डिविजन में जो पास होते हैं उनको भी मार्कशीट इशू की जाए। एजूकेशन डिपार्टमेंट वाले मेरी इस बात को नोट कर लें। डिप्टी स्पीकर साहिबा, फरीदाबाद में तीन सोसायटीज है जिनकी मान्यता मिलनी चाहिए। एक सोसायटी एक्स सैनिक सोसायटी है। इसके पास 117 एकड़ जमीन है और दो हजार मैम्बर्ज हैं। इनको या तो मकान बनाने के लिए ऐप्रवल दी जाए अथवा इस जमीन को एक्वायर किया जाए और उनको पैसा दे दिया जाए। दूसरी सोसायटीज फिरोज गांधी नगर और न्यू कालोनी एक्सटेन्शन जो डब्बा के पास है वहां पर काफी मकान बने हुए हैं उनको ऐप्रव किया जाए। फरीदाबाद टाउनशिप में सेन्ट्रल गवर्नमेंट की लैंड रिहैबलीटेशन की पड़ी हुई है। बाकी स्टेटों में इस तरह की जमीन राज्य सरकारों को मिल गई है। मेरी प्रार्थना हे कि हरियाणा सरकार भी उस जमीन को लेने की कोशिश करे। अगर यह जमीन मिल जाती है तो काम्पलैक्स एडमिनिस्ट्रेशन उसको डिवैलप करे।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, फरीदाबाद में पांच छह फैक्टरीज बन्द पड़ी है और एक–दो फैक्टरीज डैड हैं जैसे लक्ष्मी रत्न, भागों ग्लास, टेलीफंकन ग्लोप स्टील आदि इनकी लाखों रूपए की मशीनरी जोकि इम्पोरटिड पड़ी हैं। सरकार से प्रार्थना है कि

सरकार इनको चालू करवाए। लेबर डिपार्टमैंट या इन्डस्ट्री डिपार्टमैट इस बात को नोट कर ले। इनके खुलने से मजदूरों का बहुत भला होगा। नेहरू कालेज, अजरोंजा बन्द पड़ा हुआ है। उसके अन्दर लाखों रूपए का सामान, कैमिकल्ज और फर्नीचर बंद पड़ा है उसको खुलवाकर सामान को यूटिलाइज किया जाए। फरीदाबाद के अन्दर तीन लेबर आफिसर है। वहां पर एक डिप्टी लेबर कमिश्नर चाहिए ताकि शाप एक्ट को अच्छी तरह से देखा जा सके। लेबर केसिज की रिफ्रेन्स की डिस्क्रिशन लेबर कमिशनर से वापिस ले ली जाए ताकि लेबर और मालिक लेबर कोर्ट में इन्साफ के लिए सीधे जा सके। एन.आई.टी. फरीदाबाद, काम्पलेक्स फरीदाबाद एक बड़ा हिस्सा है जहां पानी की बड़ी किल्लत है। अगर 1980 तक इस दिशा में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई तो कहत पड़ जाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि चाहे गुड़गावं कैनाल से या कहीं और से पानी का इन्तजाम किया जाए। जहां तक काम्पलेक्स एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है उसने बहुत अच्छा काम किया है लेकन सैनीटेशन के काम में काफी खराबी है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। ओल्ड फरीदाबाद ओर एन.आई.टी. की मार्किट कमेटी इकट्ठी है। मैं चाहता हूं कि एन.आई.टी. की अलग हो ओर ओल्ड फरीदाबाद की अलग हो क्योंकि दोनों की इन्कम बहुत अच्छी है और इसके साथ ही दोनों की मंडिया भी अलग–अलग होनी चाहिए और जो लोकल इन्कम का पांच परसेन्ट मार्किट कमेटी को मिलता है वह 10 परसेन्ट किया जाए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, फरीदाबाद के अन्दर जिन लोगों को प्लाट दिए गए हैं वे प्लाट

अभी तक डिवैलप नहीं हुए हैं। मेरी अर्बन अस्टेट डिपार्टमेंट से प्रार्थना है कि सैक्टर 21 तथा सैक्टर 19 को जल्दी से जल्दी डिवेलप किया जाए। ताकि लोग अपने मकान बना सकें।

इसके साथ डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह कहूंगा कि फरीदाबाद कम्पलेक्स बहुत

11.00 बजे

तरक्की कर रहा है इसके लिये मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तारीफ भी करता हूं लेकिन सैनीटेशन के बारे में कुछेक बातें अवश्य कहना चाहता हूं कि उसकी हालत थोड़ी खराब है, इसके लिये लोकल बाडीज डिपार्टमैंट को इस तरह और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे लोगों को किसी किस्म की दिक्कत न हो, सैनीटेशन की डिफिकल्टभ् को कुछ इम्प्रूव करे। फरीदाबाद कम्पलेक्स में कुछेक कालोनीज हैं जैसे इन्दिरा गांधी कालोनी, चावला कालोनी जोकि बल्लभगढ़ में है इनको अच्छी तरह से डिवैलप किया जाए। सरकार इनसे डिवेल्पमैंट चार्जिज भी वसूल करती है अतः वहां की डिवैल्पमैंट तेजी से होनी चाहिये। फरीदाबाद कम्पलेक्स में एक फूल गार्डन भी है उस तरफ लोकल बाडीज डिपार्टमेंट को ध्यान देने की जरूरत है।

फरीदाबाद टाऊन मे तीन साल से हाऊस टैक्स लगा है, वहां पर मजदूर लोग रहते हैं, विडोज के वहां पर काफी मकान हैं, यह तीन साल का हाऊस टैक्स अगर माफ कर दिया जाए तो

इससे सरकार की बड़ी मेहरबानी होगी तो वहां के गरीबअ लोगों को इससे राहत मिल जाएगी, इस नये टैक्स का बोझा गरीबों पर विधवाओं पर न पाया जाए, यही मेरी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है या फिर अभी इस हाऊस टैक्स को तब तक के लिये पोस्टपोन कर दिया जाए जब तक कि लोगौं की फाइनैंशल हालत सुधरती नहीं या कम से कम फरीदाबाद टाऊनशिप से हटा दिया जाए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, कम्पलेक्स के अन्दर नई बनी हुई दुकाने हैं जिनके पहले खोखे थे अब उनको यह दुकाने अलाट कर दी गई हैं। इस तरह से यह गरीब आदमियों की काफी मदद है, जिस प्रकार उन लोगों पर भी कोई टैक्स नहीं है, इसी प्रकार मकानो पर भी टैक्स नहीं होना चाहिये। फरीदाबाद कम्पलेक्स का अढ़ाई करोड़ का बजट हे काम भी अच्छा है, वहा पर गवर्नमैन्ट इम्पलाइज की तादाद भी बहुत ज्यादा है इसलिए वहां पर बजट के अनुसार स्टाफ रखना चाहिये। तो मैं लोकल बाडीज विभाग से यह प्रार्थना करूंगा कि वे एक बारे स्टाफ का सर्वे करें जितने स्टाफ की आवश्यकता है उतना वहां पर रखा जाए ओर जो डेपूटेशन का स्टाफ होता है उससे बचत की जाए और वही पैसा कम्पलेक्स की डिवेल्पमैन्ट के कामों पर खर्च किया जाए। अन्त में मैं एक बार फिर हरियाणा की तरक्की के लिये अपने मुख्यमंत्री महोदय और चौधरी बंसीलाल जी को हार्दिक बधाई देता हूं और अपने फाइनैन्स मिनिस्टर साहब को इसके लिये बधाई देता हूं। हारजीत तो होती ही रहती है, मेरी अन्तरात्मा एक आवाज देती है कि एक बार फिर हमारी कांग्रेस सरकार आएगी। इन शब्दों के साथ मैं इस

बिल की पुरजोर हिमायत करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री जगजीत सिंह टिक्का (नारायणगढ़): डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका बड़ा धन्यवादी हूं कि आपने मुझे बोलने का टाईम दिया। वैसे तो मरे सारे भाई काफी कुछ बोल चुके हैं लेकिन अपने हल्के के मुताल्लिक मैं कुछेक बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हरियाणा प्रान्त ने काफी तरक्की की है, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है लेकिन अभी अभी मेरे एक दो भाईयों ने कहा कि अनाज के भाव काफी कम हैं और फर्टिलाइजर के भाव बहुत ऊंचे हैं लेकिन उनको यह पता होना चाहिये कि अनाज ओर फर्टिलाइजर की कीमतें केन्द्रीय सरकार मुकर्रर करती है न कि प्रान्त की सरकार। अब वे लोग ऊपर कोशिश कर लें कि अनाज की कीमत ज्यादा हो जाए और फर्टिलाइजर की कीमतें कम हो जाएं। मेरे एक भाई ने कहा कि सरकार को यह व्यापार अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये, अगर सरकार यह काम अपने हाथ में न लेती तो काश्तकार को उसकी गन्दम का भाव 105 रूपये न मिलता इससे भी कहीं कम ही मिलता।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, दो तीन बातें अपने हल्के के बारे में मैं और कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे एरिया में नहरें तो है नहीं क्योंकि हमारा इलाका ऊंचा है हमें तो केवल माइनर इरीगेशन टयूबवैल से ही फायदा हो रहा है लेकिन इसमें कई दफा दिक्कतें भी आती है। जब टयूबवैल्ज लग

जाते हैं सरकार का उन पर लाख या डेढ़ लाख रूपया लगा होता है पर उनके कनैक्शन जल्दी नहीं मिलते। जब टैस्ट रिपोर्ट आ जाए उसके बाद जल्दी ही कनेक्शन लग जाने चाहिये। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये और इस बात को चेक करने की कोशिश की जानी चाहिये कि ऐसे कामों मैं देरी न हो, जिससे लोगों को कोई दिक्कत न हो और दूसरे कई बार एक टयूबवैल का कमांड एरिया भी बहुत ज्यादा होता है जिससे जमीन सैराब नहीं हो पाती, इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कई जगह ऐसी बात है कि जबसे टयूबवैल लगा है, उनको पांच या छः साल से एक दफा भी पानी नहीं मिला लेकिन उनकी जमीन चाही दिखा दी गई है जिसका उनको बहुत नुक्सान हुआ है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके बाद मैं कुछ रोडज के मुताल्लिक कहना चाहता हूं। वैसे तो हरियाणा में बहुत तरक्की हुई है लेकिन मेरे हल्के की कुछ रोडज हैं जिनका काम अभी बाकी है, उन रोडज पर वैसे ही तकलीफ होती है जैसे 1947 से पहले लोगों को दिक्कतें पेश आती थी। जैसा बरवाला से हंडेसडा, नारायणगढ़ से बादोली और कोडवाखुर्द से नागला इत्यादि कई सड़कें है जिनकी तरफ सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये। इसके साथ–साथ कई सड़कों पर पुलों का काम भी अभी बकाया पड़ है यह काम भी शीघ्रातिशीघ्र पूरा होना चाहिये जिसके कारण आमदोरफत में बड़ी कठिनाई होती है ट्रांसपोर्टेशन में बहुत भारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जैसे धन्ना ब्रिज आन

शहजादपुर अम्बाला रोड, कन्वर्टस आन हंगोली एंड शहजहानपुर रोड कन्वर्ट आन परेल रोड हाई वे से इत्यादि ऐसे कई काम हैं जोकि अभी अधूरे ही पड़े हैं, इनको शीघ्र ही पूरा किया जाना चाहिये। सभी कामों से पहले धनाना ब्रिज का जो काम है वह सबसे पहले होना चाहिये वैसे इसी सड़क पर ओसला और टांगरी नदी पर भी पुल जल्दी बनाना चाहिए। आने जाने में रूकावटे आती हैं, लोगों को कहीं बाहर दूसरी जगहों पर बीमारी या पेशी वगैरह होती है तो ये लोग बरसात में जा नहीं सकते। तो फिर मेरी सरकार से दरखास्त है कि जो जो रोड़ बन गई हैं उन पर जो पुलियों का काम बकाया पड़ा है उसे जल्दी ही पूरा किया जाए ताकि लोगों के आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

इसके बाद डिप्टी स्पीकर साहिबा मैं वाटर सप्लाई के बारे में कहना चाहता हूं। पब्लिक हैल्थ वाले देने की बहुत कोशिश कर रहे है इसके लिये मैं सरकार का मशकूर हूं क्योंकि सरकार ने पानी की काफी सप्लाई की है लेकिन हमारा एरिया जोकि एक पहाड़ी एरिया है वहां पानी की बहुत तंगी है। इस इलाके में औरतों को दो–दो और तीन–तीन मील से पानी लाना पड़ता है इसलिये मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि मैं कुछ गावों के नाम बता रहा हूं जहां पर कि पानी की बहुत किल्लत है वहां पर पानी पहुंचाने का प्रबन्ध बहुत जल्दी करें। वे गांव है – रेहना, सुल्तानपुर, भूड, भंडाली, गडी–कोटाहा, भाज राजपुरा, भांगपुर,

आसरे वाली और बेलवाली। इनके अलावा और गांव भी हैं लेकिन इनमें तो बहुत तंगी है इसलिये इधर जल्द ध्यान दिया जाए।

इसके बाद मैं फारैस्ट पर आता हूं। फारैस्ट महकमें ने बहुत अच्छा काम किया है हम हर सड़क पर देखते हैं, बड़े अच्छे नजारे देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें एक काम उनका जो बुरा है वह यह है कि जब वे जगह एक्वायर करते हैं तो राइट होल्डर्ज के राइटस का ध्यान कम रखा जाता है। इस इलाके के लोगों का गुजारा ही जानवरों पर है और अगर आप उनके चराने के राइटस ही ले लेंगे तो वे लोग कहां जाएंगे। इसलिये उन पर कोई टैक्स या फीस न लगाई जाए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा सिर्फ दो–चार मिनट और बोलूंगा।

अब मैं इंडस्टरी पर आता हूं। हमारे एरिया में लोग इतने पैसे वाले नहीं हैं कि वे इंडस्टरी लगा सकें इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि वह नारायणगढ़, शहजादपुर ओर रायपुर रानी में इंडस्टरी लगवाए। वहां की जो पंचायत या पंचायत समितिज हैं उनके मीनज आफ इनकम कम हो गए हैं जिसकी वजह से वे काम नहीं कर पा रही हैं। मेरा निवेदन है कि उनके मीन्ज और पावर बढ़ाए जाएं।

जहां तक एग्रीकल्चर का संबंध है इसकी प्राइसिज सैंट्रल गवर्नमैंट फिक्स करती है लेकिन दूसरी तरफ के हमारे भाई

कहते हैं कि कीमतें किसान को ज्यादा मिलनी चाहिये। मैं उनसे कहता हूं कि अब उनकी सरकार सैंटर में बन गई है वे बढ़वा लें।

इसके बाद मैं कोआप्रेटिव डिपार्टमैंट के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। मिनी बैंकस भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोआप्रेटिव वाले भी कई दु। बगैर सोचे काम कर जाते हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक स्कीम कम्पलसरी फर्टिलाइजर देने की है। तेा जहां तो इरिगेटिड एरिया है वहां तो यह फर्टिलाईजर काम आ सकती है लेकिन जहां इरिगेटिड एरिया नहीं है वहां का किसान इसको क्या करेगा। मजबूरी में जमींदार को खाद लेनी पड़ती है और खाद लेकर वहीं पर 15 से 20 प्रतिशत कम कीमत देकर दुकानदार को बेच जाता है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपको बताऊं कि उस जमींदार के ऊपर कुल मिलाकर 30–40 प्रतिशत सूद पड़ जाता है। पहले तो वह 10–15 प्रतिशत कम रेट पर उसे बेच जाता है और फिर 14 प्रतिशत बैंक का सूद लगता है और फिर अगर उसकी किश्त ओवर डियू हो जाए तो 5 प्रतिशत सूद और देना पड़ता है। इस प्रकार उसे 30–40 प्रतिशत सूद देना पड़ता है जोकि ठीक नहीं है। इसलिये मेरी दर्खास्त यह है कि जिसके पास तो इरिगेटिड एरिया है उसको तो दे दो लेकिन नारायणगढ़ तहसील में जो बारानी एरिया है और जो दूसरे बारानी एरियाज हैं उन पर जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिये। मैंने पहले भी कई दफा यह सवाल उठाया है लेकिन महकमा अपना टारगेट

पूरा करने के लिये यह जबरदस्ती करता रहता है जोकि ठीक नहीं है। इन शब्दों के साथ डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका शुक्रिया आद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

वित्त मंत्री (श्री राम सरन चन्द मित्तल): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, बहुत से मैम्बरान ने अपनी अपनी कांस्टीच्यूएंसी की जरूरतों ` मुताबिक कुद सुझाव दिये हैं, जैसे कहीं पर पुल चाहिये, कही पर दवाई चचाये ओर कहीं पर पुनारी सड़कों की रिपेयर चाहिये। इनके अलावा ओर भी ऐसी जरूरत की चीजें हैं जिनका मुकम्मल तौर पर इस समय जवाब नहीं दिया जा सकता लेकिन उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा। मैं दो एक आंकडे बताउंगा। चौ. शिव राम ने कहा फौडर की इम्प्रूवमैंट होनी चाहिये। मैं उनको बताना चाहता हूं कि फौडर की डिवैल्पमैंट के लिये हमने नान प्लान नं. 1739060 रूपयें और प्लान में 84000 रूपये का प्रोविजन किया है इसलिये यह कम रकम नहीं है। लाला रूलिया राम कहने लगे कि फलड कन्ट्रोल के लिये एक करोड़ रूपया रखा है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि एक करोड़ नहीं हैं दरअसल वह 1 करोड़ 95 लाख है। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नही है क्योंकि जितने भी प्वायंट कहे गए हैं उन सबका जवाब इस समय नहीं दिया जा सकता, उनको कंसिडर किया जाएगा इसलिये मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता ओर रिक्वैस्ट करूंगा कि इस बिल को क्लाज वाई क्लाज पास कर दिया जाए।

Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Deputy Speaker: Question is –

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Deputy Speaker: Question is –

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is –

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker: Question is –

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker: Question is –

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister: (Sh. Ram Saran Chand Mital): Madam, I beg to move –

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion move –

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Appropriation (No. 4) Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन बिल, 1977

Finance Minister: (Sh. Ram Saran Chand Mital): Madam, I beg to introduce the Haryana Appropriation Bill, 1977

Madam, I also beg to move -

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion move –

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Appropriation Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Deputy Speaker: Question is –

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Deputy Speaker: Question is –

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is –

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker: Question is –

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker: Question is –

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister: (Sh. Ram Saran Chand Mital): Madam, I beg to move –

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion move –

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Appropriation Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं. 2) बिल, 1977

Finance Minister: (Sh. Ram Saran Chand Mital): Madam, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1977

Madam, I also beg to move -

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion move –

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Deputy Speaker: Question is –

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Deputy Speaker: Question is –

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is –

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker: Question is –

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker: Question is –

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister: (Sh. Ram Saran Chand Mital): Madam, I beg to move –

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion move –

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं. 3) बिल, 1977

Finance Minister: (Sh. Ram Saran Chand Mital): Madam, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1977

Madam, I also beg to move -

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion move –

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Deputy Speaker: Question is –

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Deputy Speaker: Question is –

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is –

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker: Question is –

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker: Question is –

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister: (Sh. Ram Saran Chand Mital): Madam, I beg to move –

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion move –

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा ऐप्रोप्रिएशन (नं. 3) बिल, 1977

Finance Minister: (Sh. Ram Saran Chand Mital): Madam, I beg to introduce the Haryana Appropriation (No. 3) Bill, 1977

Madam, I also beg to move -

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion move –

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Deputy Speaker: Question is –

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Schedule

Deputy Speaker: Question is –

That the Schedule be the Schedule of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Deputy Speaker: Question is –

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker: Question is –

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker: Question is –

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minister: (Sh. Ram Saran Chand Mital): Madam, I beg to move –

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion move –

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Appropriation (No. 3) Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा सीलिंग आन लैंड होल्डिंगज (अमैंडमैंट) बिल, 1977

Revenue Minister: (Sh. Maru Singh Malik): Madam, I beg to introduce the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill, 1977

Madam, I also beg to move -

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Motion move –

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Deputy Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Sub-Clause (2) of Clause 1

Deputy Speaker: Question is –

That sub-clause (2) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2

Deputy Speaker: Question is –

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Deputy Speaker: Question is –

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Deputy Speaker: Question is –

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Deputy Speaker: Question is –

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Deputy Speaker: Question is –

That sub-clause (1) of clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Deputy Speaker: Question is –

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Deputy Speaker: Question is –

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Revenue Minister: (Sh. Maru Singh Malik): Madam, I beg to move –

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be passed.

Deputy Speaker: Motion move –

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be passed.

Deputy Speaker: Question is –

That the Haryana Ceiling on Land Holdings (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रैगुलेशन आफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट)

बिल, 1977

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): Madam, I beg to introduce the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 1977

Madam, I also beg to move -

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

(At this stage the Speaker occupied the Chair)

Mr. Speaker: Motion move –

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2 to Clause 4

Mr. Speaker: Question is –

That clause 2 to 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): Madam, I beg to move –

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion move –

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा अर्बन डिवैल्पमैंट अथौरिटी बिल, 1977

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): Madam, I beg to introduce the Haryana Urban Development Authority Bill, 1977

Madam, I also beg to move -

That the Haryana Urban Development Authority Bill be taken into consideration at once.

(At this stage the Speaker occupied the Chair)

Mr. Speaker: Motion move –

That the Haryana Urban Development Authority Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Urban Development Authority Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Sub-Clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That Sub-Clause 2 to Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2 to 60

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 to 60 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) to Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That Sub-Clause (1) to Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Excise and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): Madam, I beg to move –

That the Haryana Urban Development Authority Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion move –

That the Haryana Urban Development Authority Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Urban Development Authority Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलांउसिज आफ मैम्बजै) अमैंडमैंट

बिल, 1977

Chief Minister (Sh. Banarsi Dass Gupta): Madam, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill, 1977

Sir, I also beg to move -

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

(At this stage the Speaker occupied the Chair)

Mr. Speaker: Motion move –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2 and 3

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

राव दलीप सिंह: स्पीकर साहब, मैं एक अमैंडमैंट मूव करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: इस अमैंडमैंट के लिए आपको रिकमैन्डेशन गवर्नर की चाहिए क्योंकि यह मनी बिल है।

राव दलीप सिंह: गवर्नर की रिकमैन्डेशन बाद में मंगवा ले अगर आज नहीं हो सकती।

Mr. Speaker: This is not in order. Under article 207 (1) of the Constitution a Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of Clause (1) of article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor.

यही नहीं, अपने रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एण्ड कंडक्ट ऑफ बिजनैस के यल 153 में भी लिखा है कि –

> "If any member desires to move an amendment which under the Constitution cannot be moved without the previous sanction or recommendation of the President or Governor, as the case may be, he shall annex to the notice required by these Rules such sanctions or recommendation and the notice shall not be valid, until this requirement is complied with."

So, the amendment is out of order.

राव दलीप सिंह: ठीक है जी, मुझे इस बात का पता नहीं था।

स्पीकर साहब, इसमें लिखा है कि जो लैजिसलेटर पांच साल मुकम्मल कर चुका है उकसे तीन सौ रूपया पैन्शन मिलेगी लेकिन मेरा सुझाव है कि जो लैजिसलेटर दो दफा चुना गया हो और पांच साल पूरे न कर पाया हो असैम्बली डिजौल्व होने या चुनाव पहले करा दिए जाने के कारण उसे भी पैन्शन दी जानी चाहिए। वैसे तो वह दस साल का अधिकारी बनता था लेकिन चूंकि वह पांच साल भी पूरे नहीं कर पाया इसलिए उसे मिनिमम पैन्शन तो दी जानी चाहिए। एक दफा चुने जाने वाले की बात तो मैं नहीं करता लेकिन दो दफा चुने जाने वाले को जरूर पैन्शन दें, यह मेरा सुझाव है।

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Chief Minister (Sh. Banarsi Dass Gupta) Madam, I beg to move –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion move –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances of Members) Amendment Bill be passed.

The motion was carried.

दी हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली स्पीकर्ज एंड डिप्टी स्पीकर्ज सैलरीज एंड अलांउसिज (अमैंडमैंट) बिल, 1977

Chief Minister (Sh. Banarsi Dass Gupta): Madam, I beg to introduce the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill, 1977

Madam, I also beg to move -

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion move –

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2 and 3

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 and 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Chief Minister (Sh. Banarsi Dass Gupta): Madam, I beg to move –

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion move –

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Haryana Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries and Allowances (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दी रोहतक यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1977

Revenue Minister (Sh. Maru Singh Malik): Madam, I beg to introduce the Rohtak University (Amendment) Bill, 1977

I also beg to move -

That the Rohtak University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion move –

That the Rohtak University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is –

That the Rohtak University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will take up the Bill clause by clause.

Sub-clause (2) of Clause 2 to 4

Mr. Speaker: Question is –

That Sub-clause (2) of Clause 2 to 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 2 to 4

Mr. Speaker: Question is –

That Clause 2 to 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause (1) of Clause 1

Mr. Speaker: Question is –

That Sub-Clause (1) of Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is –

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is –

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Revenue Minister (Sh. Maru Singh Malik): Madam, I beg to move –

That the Rohtak University (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Motion move –

That the Rohtak University (Amendment) Bill be passed.

Mr. Speaker: Question is –

That the Rohtak University (Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 2 p.m. on the 28th March, 1977.

11.46 A.M.

(The Sabha then adjourned till 2 p.m. on Monday, the 28th March, 1977).

परिशिश्ट

(कृपया डिबेट का पृश्ठ (6) 11 देखिए)

Villages Affected by Floods and Heavy Rains

587. Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Revenue be pleased to state:

(a) the district-wise total number of villages affected by floods and heavy rains in the State during the period from 1.7.1976 todate;

(b) the district-wise loss sustained by each village as referred to in part (a) above; and

(c) the steps taken by the State Government to save the lives and property of the villages as referred to in part (a) above, together with the relief given in each case, separately ?

Revenue Minister (Shri Preet Singh Rathi) :

(a) & (b)Statement I relating to demage caused by the rains of 1976 is attached.

Supply of information on a village-wise basis will involve a lot of time and labour from which commensurate usefulness will not accrue.

(c) Relief measures in the shape of providing "Sirkis" to the shelterless, draining out of water by pumps,

evacuation of affected persons to safer pleaces, provision of food stuffs and essential commodities, provision of medical relief and care and veterinary services and supply of free ration were taken. In addition, and amount of Rs. 75 lakhs was allocated to the districts for disbursement to needy persons as subsidy and loan, District-wise details are shown in Statement I.

STATEMENT I

	District	Total No. of villages affected	Loss caused to houses in Rs.	Loss caused to crops in Rs.
1	Hissar	150	29,88,500	5,11,06,000
2	Gurgoan	629	2,08,98,000	4,69,73,200
3	Jind	205	90,00,000	3,70,00,000
4	Narnaul	35	8,10,000	18,05,000
5	Bhiwani	178	30,00,000	1,25,00,000
6	Sirsa	29		16,00,000
7	Rohtak	314	1,16,79,000	5,32,63,500
8	Ambala	268	28,31,000	37,22,000
9	Karnal	95	3,50,000	40,00,000
10	Kurukshetra	416	33,34,000	2,10,42,500
11	Sonepat	226	16,00,000	6,40,00,000
	Total	2,545	5,64,90,500	29,70,12,200

STATEMENT II

District-wise allocation of funds for subsidy and loan.

(All amounts in Rupees)

	District	Allocation for subsidy	Allocation for loan under Act XIX of 1883	Allocation for loan under Act XII of 1884
1	Hissar	40,000	60,000	3,50,000
2	Gurgoan	2,70,000	4,10,000	9,50,000
3	Jind	1,00,000	1,50,000	4,60,000
4	Narnaul	80,000	1,20,000	30,000
5	Bhiwani	90,000	1,30,000	70,000
6	Sirsa			30,000
7	Rohtak	1,00,000	1,50,000	13,20,000
8	Ambala	40,000	60,000	1,10,000
9	Karnal	1,00,000	2,00,000	2,20,000
10	Kurukshetra	1,00,000	1,50,000	6,00,000
11	Sonepat	50,000	70,000	8,60,000
	Total	10,00,000	15,00,000	50,00,000